सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

2021-22

DoIT

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान

अनुक्रमणिका

विषय		पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	6
2	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	9
3	राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	9
4	प्रशासनिक तंत्र	9
5	विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग	
5.1	जन सूचना पोर्टल	15
5.2	राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (आर.एस.डी.सी)	16
5.3	डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजन (DVAE)	18
5.4	राज उद्योग मित्र पोर्टल (Raj Udyog Mitra Portal)	18
5.5	राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)	18
5.6	न्यूज मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम (News Media Management System)	21
5.7	बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)	22
5.8	भू रूपांतरण प्रणाली (90A)	22
6	नीतिगत पहल	
6.1	आधार अधिप्रमाणन (Authentication) ईकोसिस्टम	23
6.2	आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति	23
6.3	राजस्थान स्टार्टअप	23
7	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाएं	
7.1	राजस्थान सम्पर्क	28
7.2	नागरिक सम्पर्क केन्द्र	30

7.3	वीडियो वाल	30
7.4	राजवीसी	32
7.5	राजनेट	33
7.6	राज वाई—फाई	35
7.7	राजस्वान	37
7.8	ई—मित्र	40
7.9	ई—मित्र प्लस	41
7.10	राज पेमेंट प्लेटफॉर्म	41
7.11	राज ई—साईन	42
7.12	स्टेट—पोर्टल	42
7.13	ई—संचार 2.0	43
7.14	स्टेट मास्टर केंद्रीय डाटा हब, राज—मास्टर	44
7.15	राज—काज (इन्टीग्रेटेड राज ई— ऑफिस)	45
7.16	ई—वॉल्ट	46
7.17	सिंगल साईन ऑन (राज एस.एस.ओ.)	48
7.18	राजबोट	48
7.19	रोबोटिक्स	50
7.20	आधार डेटा वॉल्ट	51
7.21	राजसेवा द्वार	51
7.22	डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर	52
8	**मानव संसाधन विकास**	
8.1	सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण	55
8.2	इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	55
8.3	राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन	55
9	**अन्य विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी सहायता**	
9.1	वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी—पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)	55
9.2	आई.टी. इनेबलमेन्ट ऑफ सिलिकोसिस पेशेंट रजि. एण्ड डिसबर्समेन्ट सिस्टम	58

9.3	ई–बाजार	58
9.4	वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)	60
9.5	आरटीआई पोर्टल	61
9.6	एसआईएमएस पोर्टल (SIMS: Sales and Inventory Management System)	62
9.7	अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर	63
9.8	एकीकृत भर्ती पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal)	65
9.9	राजधरा–एकीकृत भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस)	65
9.10	एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर	66
9.11	राज ई. आर. पी.	67
9.12	लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम	68
9.13	राजफेब (RajFab)	69
9.14	स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF)	69
9.15	लाईट्स–न्याय विभाग (Litigation Info. Tracking & Evaluation System)	70
9.16	राज ई–ज्ञान Raj-e-Gyan	71
9.17	एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल	71
9.18	लर्निंग मेनेजमेण्ट सिस्टम (RAJ-LMS)	72
9.19	राजस्थान जन–आधार योजना	73
9.20	राजस्थान ई–अर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम (ReAMS)	74
9.21	आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS)	76
9.22	राजकिसान साथी	76
9.23	सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS)	79
9.24	सोशल मीडिया	80
9.25	चीफ मिनिस्टर इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीएमआईएस)	82
9.26	जनकल्याण पोर्टल	82
9.27	ई–लाइब्रेरी	83
9.28	जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System)	84
9.29	राजकौशल	86

	9.30	ई.ई.एम.एस. (Employment Exchange Management System)	87
	9.31	Forest Rights Act – FRA	87
	9.32	यू.आई.डी (आधार)	89
	9.33	राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम	89
	9.34	राजनिवेश	90
	9.35	ई–बिजनेस पोर्टल	90
	9.36	ऐतिहासिक भवनों की 3D स्कैनिंग, एवं मॉडलिंग	90
10	**COVID-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम**		90
11	**वर्ष वार विगत तीन वर्षो के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय**		103
12	**पुरस्कार एवं प्रशंसा**		104

1 परिचय

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय की स्थापना की। तत्पश्चात आदेश संख्या प.27 (2) मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प.27(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प.27(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना, सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

(क) समग्र निर्देश और मार्गदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना।

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना।

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं के वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़ीकरण के मामले में समन्वय करना।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कॉमर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) व्यवहार्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेंसियों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य सॉफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ऑटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन।

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना –

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र में विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए योजना तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें।

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना–

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्राम–स्तर तक ब्रॉडबैण्ड डिजिटल संबन्धता की स्थापन को सरल बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की ऐजेन्सियों के साथ समन्वय करना।

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना और उन्हें सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher-Course)/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी. इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्रयोजन काऊन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित संस्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

2 राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड

वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5 (119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) स्थापित की गई।

3 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना की गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी किये गये हैं।

4 प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनगर्ठन किए जाने के पश्चात् राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है: –

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
(Overall Cadre Strength)

31 दिसम्बर, 2021

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक	9	7*	2
3.	अतिरिक्त निदेशक	15	10	5
4.	वित्तीय सलाहकार	1	1©	0
5.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	73	62#	12
6.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	175	124**	51
7.	सहायक निदेशक	1	1	0
8.	लेखाधिकारी	1	0	1
9.	प्रोग्रामर	691	379$	312
10.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	3	3	0
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	35	12***	23
12.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	4	0
14.	कनिष्ठ लेखाकार	4	4	0
15.	निजी सचिव	1	1	0
16.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	0	1
17.	निजी सहायक	1	0	1
18.	सहायक प्रोग्रामर	1079	1008	71
19.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	2	2
20.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
21.	वरिष्ठ सहायक	7	7	0
22.	सूचना सहायक	7013	4767****	2246
23.	कनिष्ठ सहायक	53	41£	12
24.	वाहन चालक	2	0	2
25.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	10	4
	कुल	**9190**	**6444**	**2746**

*श्री अमित कक्कड़, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विद्युत), तकनीकी निदेशक के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

©श्रीमती पूनम चौधरी, मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सलाहकार के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

#विभाग के आदेश क्रमांक 00531 दिनांक 23.01.2020 के द्वारा एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) से सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के पद पर पदोन्नत श्री जीतेन्द्र शर्मा को सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के पद पर कार्यरत मानते हुए गणना की गई है।

**राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) सीधी भर्ती परीक्षा, 2014 के 29 पदों पर आयोजित सीधी भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से 28 अभ्यर्थियों के नाम अभिस्तावित किये गये तथा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आदेश क्रमांक 79176 दिनांक 18.01.2018, एमएल–1871 दिनांक 19.02.18, 00029 दिनांक 20.04.2018, एमएल–2782 दिनांक 02.07.2021 एवं 03339 दिनांक 17.09.2021 के द्वारा 25 (21+1+1+1+1) अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। शेष 4 पदों में से 3 पदों पर अदालती स्तर पर कार्यवाही लम्बित है तथा 1 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर लंबित है, इस प्रकार कुल 4 पद विभिन्न कारणों से रिजर्व रखे गये है। रिक्त पदों की गणना 29 (कुल विज्ञप्ति पद) अभ्यर्थियों को कार्यरत मानते हुए की गई है।

$ विभाग के आदेश क्रमांक 03342 दिनांक 17.09.2021 के द्वारा 45 सहायक प्रोग्रामर को प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। रिक्त पदों की गणना सभी को कार्यरत मानते हुए की गई है। श्री प्रदीप यादव, प्रोग्रामर का अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में lien (लियन) होने के कारण प्रोग्रामर के कार्यरत पदों में इनके पद को सम्मिलित किया गया है।

*** सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।।के पद के विरूद्ध 5 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– । कार्यरत है।

****राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 के 1343 (1302+41 MBC) पदों पर आयोजित सीधी भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से 1252 पदों पर विभागीय आदेश क्रमांकः एमएल–3175 दिनांक 19.08.2019, 21 पदों पर आदेश क्रमांक 06054 दिनांक 23.12.2019, 34 पदों पर आदेश क्रमांक 01124 दिनांक 17.02.2020, 23 पदों पर आदेश क्रमांक 04468 दिनांक 29.09.2020, 102 पदों पर आदेश क्रमांक 04969 दिनांक 02.11.2020, 5 पदों पर आदेश क्रमांक 02220 दिनांक 22.06.2021 एवं 9 पदों पर आदेश क्रमांक 04387 दिनांक 11.11.2021 के द्वारा नियुक्ति/पदस्थापन प्रदान किये गये है। 2 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के द्वारा तथा 104 अभ्यर्थियों द्वारा तय समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण उनके नियुक्ति/पदस्थापन आदेश विभाग के आदेश क्रमांक 01241 दिनांक 24.02.2020 के द्वारा निरस्त किये गये। रिक्त पदों की गणना 1343 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत रिजर्व मानते हुये की गई है। 29 सूचना सहायकों के अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में lien (लियन) होने के कारण सूचना सहायक के कार्यरत पदों में इनके पदों को सम्मिलित किया गया है। सूचना सहायक के शेष 6 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

£राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण 36 अभ्यर्थियों को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आदेश क्रमांक एमएल–833 दिनांक 10.07.2020 द्वारा नियुक्ति/पदस्थापन प्रदान किये गये है जिनमें से 5 अभ्यर्थियों द्वारा तय समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण उनके नियुक्ति/पदस्थापन आदेश विभाग के आदेश क्रमांक 03739 दिनांक 27.08.2020 के द्वारा निरस्त किये गये है। रिक्त हुए 5 पदों में से 1 पद अनुकम्पात्मक नियुक्ति द्वारा भरा गया है। दिनांक 26.10.2020 को सुश्री विशाका मीणा द्वारा त्यागपत्र दिया गया। रिक्त पदों की गणना 32 अभ्यर्थियों को कार्यरत मानते हुए की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)
स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

31 दिसम्बर, 2021

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव	1	1	0
3.	तकनीकी निदेशक	5	5[$]	0
4.	अतिरिक्त निदेशक	9	9[&]	0
5.	वित्तीय सलाहकार	1	1[©]	0
6.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	18	18	0
7.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	56	50*	6
8.	सहायक निदेशक	1	1	0
9.	लेखाधिकारी	1	0	1
10.	प्रोग्रामर	39	39**	0
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2	2	0
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	2	2	0
13.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
14.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	4	0
15.	कनिष्ठ लेखाकार	4	4	0
16.	निजी सचिव	1	1	0
17.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	0	1
18.	निजी सहायक	1	0	1
19.	सहायक प्रोग्रामर	89	85***	4
20.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	2	2
21.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
22.	वरिष्ठ सहायक	7	7	0
23.	सूचना सहायक	345	334	11
24.	कनिष्ठ सहायक	19	18	1
25.	वाहन चालक	2	0	2
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	10	3
	कुल	**628**	**585**	**33**

$ तकनीकी निदेशक के 1 पद के विरूद्ध श्री अमित कक्कड़, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विद्युत) एवं 1 पद के विरूद्ध सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यरत है।

&अतिरिक्त निदेशक के 2 पदों के विरूद्ध सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यरत है।

©श्रीमती पूनम चौधरी, मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सलाहकार के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

*एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के 15 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर कार्यरत है।

**विभाग के आदेश क्रमांक 03109/2018 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा श्री सौरभ शर्मा, प्रोग्रामर वर्तमान पदस्थापन भामाशाह प्राधिकरण, आयोजना विभाग, जयपुर का वेतन सू.प्रौ.और संचार विभाग में रिक्त प्रोग्रामर पद के विरूद्ध आहरित किया जा रहा है।

***सहायक प्रोग्रामर के 26 पदों के विरूद्ध सूचना सहायक कार्यरत है।

· श्री सतीश कुमार जंगम, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) दिनांक 11.12.2019 से; श्री ओम प्रकाश, सहायक प्रोग्रामर दिनांक 24.12.2021 से; श्री नरेन्द्र मीना, श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री रविन्द्र बैरवा, श्री एकांत, श्री रविन्द्र कुमार, श्री दीपक रघुवंशी, श्री तरूनेश कुमार, मोहित मलिक एवं श्री विशाल शर्मा, सूचना सहायक क्रमशः दिनांक 02.03.2017, 14.02.2019, 13.03.2020, 16.02.2021, 19.01.2021, 26.04.2021, 27.09.2021, 22.12.2021 एवं 24.12.2021 से निलम्बित चल रहे है।

श्री हरी कृष्ण शर्मा एवं श्री रवि कुमार भाटी, प्रोग्रामर दिनांक 23.09.2021 एवं 16.11.2021 से; श्री यशपाल, सहायक प्रोग्रामर दिनांक 23.12.2021 से; सुश्री/श्रीमती संगीता, श्री विजेन्द्र चौधरी, सुश्री/श्रीमती सुमन गुप्ता, श्री कुलदीप कुमार मीना, श्री अनिल कुमार मीना, श्री विक्रम कुमार, सुश्री/श्रीमती टीना शर्मा, श्री शिव कुमार योगी एवं श्री दिनेश कुमार, सूचना सहायक दिनांक 12.10.2021, 28.10.2021, 04.10.2021, 04. 10.2021, 29.10.2021, 09.11.2021, 02.11.2021, 25.11.2021 एवं 30.11.2021 से आदेशों की प्रतीक्षा में है।

यू.आई.डी. प्रोजेक्ट U.I.D. Head 3454-02-203-(01)-[01]-[03]

(31 दिसम्बर, 2021)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	ओ.एस.डी.	1	1	–	
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	1	–	
3.	वरिष्ठ परियोजना अधिकारी	2	–	2	
4.	परियोजना अधिकारी	2	1	1	
5.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	–	1	
6.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	–	
7.	कनिष्ठ सहायक	1	–	1	
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	–	3	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से)
	कुल	**12**	**4**	**8**	

जिला कार्यालय, सू.प्रौ और संचार विभाग

(31 दिसम्बर, 2021)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	अतिरिक्त निदेशक	2	2
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	30	17*
3.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	34	26**
4.	प्रोग्रामर	33	28***
5.	सहायक प्रोग्रामर	33	31****
6.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	33	12©
7.	सूचना सहायक	231	183
8.	कनिष्ठ सहायक	33	23

*सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के पद के विरूद्ध 2 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) पदस्थापित है।

**एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद के विरूद्ध 6 प्रोग्रामर पदस्थापित है।

***प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 7 सहायक प्रोग्रामर पदस्थापित है।

©सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। के पद के विरूद्ध 5 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। कार्यरत है।

****सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 3 सूचना सहायक पदस्थापित है।

पंचायत समिति कार्यालय, सू.प्रौ. और संचार विभाग

(31 दिसम्बर, 2021)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)	402	209*
2.	सहायक प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)	640	448**
3.	सूचना सहायक (पंचायत समिति मुख्यालय हेतु)	1156	734

* ब्लॉक मुख्यालय पर प्रोग्रामर के 402 पदों के विरूद्ध 98 प्रोग्रामर, 92 सहायक प्रोग्रामर तथा 19 सूचना सहायक पदस्थापित है।

** ब्लॉक मुख्यालय पर सहायक प्रोग्रामर के 15 पदों के विरूद्ध सूचना सहायक पदस्थापित है।

5. विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग

5.1 जन सूचना पोर्टल

जन सूचना पोर्टल अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा वार्ड/पंचायत स्तर तक क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है–"प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम उपयोग लेना पड़े"। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल बनाया गया है, वर्तमान में किये जा रहे कार्य निम्नानुसार हैं :–

परियोजना की प्रगति :- जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं की प्रगति तालिका दिनांक 30 दिसम्बर 2021 तक निम्नानुसार है–

क्रम सं.	प्रगति विवरण	संख्यात्मक प्रगति
1	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध कुल विभागों की संख्या	115
2	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध विभागों की योजनाओं की संख्या	260
3	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की प्रदत्त जानकारी की संख्या	562

4	जनसूचना वेब पोर्टल की विजिटर संख्या	10.16+ Cr.
5	जनसूचना वेब पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी	9.43+ Cr.
6	ईमित्र प्लस मशीन के द्वारा जनसूचना पोर्टल की जानकारी प्राप्त किए जाने की संख्या	2.15+ Lacs
7	जनसूचना मोबाईल एप के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त किए जाने की संख्या	45.79+Lacs
8	मोबाईल एप डाउनलोड किए जाने की संख्या	2.38+ Lacs

5.2 राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (आर.एस.डी.सी)

राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC) राज्य के विभागों/एजेंसियों को सक्षम करने हेतु G2G, G2C और G2B सेवाओं की सुलभ उपलब्धता करने हेतु अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए कुशल इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करता है। यह डाटा सेंटर डाटा प्रबंधन, केंद्रीय संग्रह, आईटी प्रबंधन, संचालन और रखरखाव की समग्र लागत को कम करने के लिए अग्रणी एक सामान्य बुनियादी ढाँचे पर अपनी सेवाओं/अनुप्रयोगों की मेजबानी करता है।

आर.एस.डी.सी. के पास 800 रैक की कुल क्षमता–4 डाटा सेंटर, जयपुर और 1 डीआर साइट, जोधपुर में स्थापित है। आर.एस.डी.सी.–P4 में 600 रैक UPTIME टियर–4 डिजाइन प्रमाणित हैं, जो 99.995% UPTIME सुनिश्चित करता है। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डाटा सेंटर है।

आर.एस.डी.सी. अत्याधुनिक इंजीनियरिंग मशीनों जैसे –आईबीएम प्यूरएप, ओरेकल ऐक्साडाटा, ओरेकल एक्सलॉजिक, माइक्रोसॉफट एज़्योर और सुरक्षा उपकरण जैसे फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, डीडीओएस, डब्ल्यूएएफ, डैम, एसआईईएम, एपीटी, फोरेंसिक आदि से संपन्न है।

आर.एस.डी.सी. राजस्थान के साथ–साथ अन्य राज्यों के सरकारी विभागों/संगठनों को, को–लोकेशन और क्लाउड यथा IaaS, SaaS, PaaS एवं SOC इत्यादि की सेवायें दे रहा है। आर.एस.डी.सी. के ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एंटरप्राइस एडिशन, RHEL एंटरप्राइस एडिशन तथा एप सर्वर में वेबस्फीयर (WAS), Weblogic एवं डाटाबेस सर्वर में MS-SQL, Oracle प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाता है।

आर.एस.डी.सी. में 500 से अधिक वेबसाइटों की होस्टिंग की जाती है, जो विभिन्न विभागों की जी2जी, जी2सी और जी2बी सेवाएं प्रदान करती हैं। कुछ प्रमुख वेबसाइटों में – ई–मित्र, ई–पीडीएस, जन आधार सरकार के लाभों को जनता तक पहुँचाने वाली नागरिक उन्मुख वेबसाइट्स हैं । आरपीपी, वीसी, राजएसएसओ, राजमास्टर्स, राज सेवा द्वार आदि का उपयोग मानकीकृत समाधान प्रदान करने वाले प्लेटफार्मों के रूप में किया जाता है। सी.सी.टी.एन.एस., एफ.एम.डी.एस.एस., एस.आई.पी.एफ., ई2ई परीक्षा आदि विभाग–विशिष्ट वेबसाइट्स हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021–22 के क्रम में, राज्य सरकार ने स्टेट डाटा सेंटर की सेवाओं को अन्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभागों/पीएसयू/एजेंसी/संगठन, स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्रों को सशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक F5(458)/DoIT/Tech/11/P-3/ML-3474/2021 के माध्यम से RSDC सेवाओं की दरों के लिए एक शासनादेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने आर.एस.डी.सी. सेवाओं पर दिनांक 31–मार्च–2022 तक रियायत की घोषणा की है।

निर्धारित दरों पर निम्नलिखित रियायत 31–मार्च–2022 तक लागू रहेगी :–

क्र.स.	ग्राहक का प्रकार	रियायत
1	अन्य राज्यों के सरकारी विभागों/PSU's और राजस्थान सरकार के PSU's	2 साल की न्यूनतम प्रतिबद्धता पर प्रथम 6 माह के लिए निःशुल्क रैक स्पेस एवं क्लाउड सेवाओं पर 35 % रियायत
2	निजी क्षेत्र	कुल अनुबंध अवधि पर 10% की रियायत
3	स्टार्टअप्स (केंद्र और राज्य सरकार से पंजीकृत)	प्रथम वर्ष – 50% रियायत द्वितीय वर्ष – 10 % रियायत

राजस्थान सरकार के विभागों को स्टेट डाटा सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निःशुल्क रहेंगी।

5.3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजिन (DVAE)

सरकार में दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करने के की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों के प्रमाणीकरण एवं सत्यापन के लिए डॉक्यूमैंट वैरिफिकेशन एवं ऑथेन्टिकेशन इंजिन (DVAE) नामक ऐप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। यह प्रणाली (System) विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेजों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण में पारदर्शिता (Transparency) एवं दक्षता (efficiency) को बढ़ाती है। वर्तमान में इस इंजिन के माध्यम से 20 प्रकार के दस्तावेज सत्यापित करने की सुविधा उपलब्ध है। इस इंजिन को चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रमुख विभागों में लागू किया जा रहा है।

5.4 राज उद्योग मित्र

यदि कोई व्यक्ति नये सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों (MSME) को शुरू करना या उसे संचालित करना चाहता है, तो उसे एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत राज्य में 3 साल तक किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी राज उद्योग मित्र पोर्टल पर आधार नंबर के माध्यम से रजिस्टर करके 3 साल तक का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकता है। 3 साल की अवधि के लिए किसी भी कानून के तहत उसके उद्यम का निरीक्षण नहीं किया जाएगा । इस योजना में मुख्य रूप से उन व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन करने का लाभ प्राप्त होगा, जो कि नये व्यवसाय या स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य राज्य में आजीविका, समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पोर्टल का अधिकारिक लिंक https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/ हैं जिसके माध्यम से अब तक कुल 12,096 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

5.5 राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में उपलब्ध आंतरिक मानव संसाधनों के कौशल का उपयोग और संवर्धन करते हुए उपयुक्त लागत में, विश्वसनीय और समयबद्ध तरीके से राज्य सरकार की आईटी परियोजनाओं को विकसित करने के मिशन को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD) की स्थापना की गई है। वर्तमान में 105 सूचना सहायक / सहायक प्रोग्रामर की क्षमता के साथ संचालित है। RajCAD में अभी बिजनेस एनालिसिस, डॉटनेट, PHP, JAVA, मोबाईल ऐप्लीकेशन डेवलपमेंट, GIS और Remote

Sensing, UI/UX Design, SAS, Power BI, Tableau सिक्योरिटी ऑडिट व RDBMS कार्यक्षेत्र संचालित हैं।

RajCAD द्वारा अभी तक विभिन्न विभागों के डिजिटलाइजेशन के तहत 32 प्रोजेक्टस यथा– RajCAD पोर्टल, RajMegh पोर्टल, Shahar2021.rajasthan.gov.in वेबसाईट, RajMegh पोर्टल, https://lsgonline.rajasthan.gov.in/ वेबसाईट, LSG ट्रेड लाईसेंस सिस्टम इत्यादि पूर्ण करके लाईव किये जा चुके हैं तथा 10 प्रोजेक्ट्स विकासाधीन हैं एवं 15 प्रोजेक्ट्स पाईपलाईन में हैं।

परियोजना का उद्देश्य :

फरवरी 2020 में देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर आरएसडीसी (पी–4), झालाना डूंगरी में राजस्थान सेंटर ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है–

- विभाग के आंतरिक मानव संसाधन, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की विभिन्न तकनीकों पर कुशल और प्रशिक्षित हैं, की पहचान करके व उनको प्रशिक्षण देकर RajCAD में डवलपमेंट का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- राज्य में डिजिटलाइजेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन–हाउस आईटी नेतृत्व प्रदान करना और आईटी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- सर्वोत्तम नीतियों को लागू करके और निरंतर कौशल विकास के परिणामस्वरूप तेजी से गुणात्मक वितरण करके प्रदर्शन में सुधार करना।
- ई–गवर्नेंस हेतु नवीनतम एप्लीकेशन और डोमेन क्षमता को विकसित करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना।
- सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्वाह और स्वामित्व के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आंतरिक मानव संसाधनो के उपयोग से राजस्व की बचत करना।

परियोजना के लाभ :

- उपयुक्त लागत में विभाग के सहायक प्रोग्रामर/सूचना सहायकों द्वारा आईटी समाधान, विकास और रखरखाव।
- मानक डवलपमेंट गतिविधियां।
- विभाग के आंतरिक मानव संसाधनों का नियमित एवं केंद्रित क्षमता विकास।
- उभरती प्रौद्योगिकियों में तकनीकी कार्यान्वयन।
- तकनीकी समझ और निरंतरता के लिए विकसित किये गए समाधानों का स्वामित्व।
- RajCAD ने अपने आंतरिक मानव संसाधनों द्वारा अभी तक पूर्ण किये गये कार्यो से अनुमानित बचत लगभग 6.69 करोड़ रूपये की हैं।

परियोजना की वर्षवार प्रगति :

कार्यक्षेत्र	उप कार्यक्षेत्र	कुल प्रोजेक्टस/ मोड्यूल्स	पूर्ण एवं गो लाईव	पूर्ण	अंडर डवलवमेंट
एप्लीकेशन डवलपमेंट	PHP	05	02	01	02
	JAVA	03	02	02	1
	MS.Net (टीम 1)	33	26	27	06
	MS.Net (टीम 2)	30	19	24	06
	MS.Net (MVC) (टीम 3)	02	01	00	01
	GIS & Remote Sensing	28	14	19	09
	मोबाईल ऐप्लीकेशन डेवलपमेंट	11	09	09	02
बिजनेस एनालिसिस		39	26	11	02
UI/UX Design		05	00	00	05
डाटा एनालिटिक्स	Power BI	31	31	31	00
	Tableau	08	04	01	03
	SAS	08	07	06	01
सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस व लोड टेस्टिंग		256	236	236	20
RDBMS		01	00	01	00

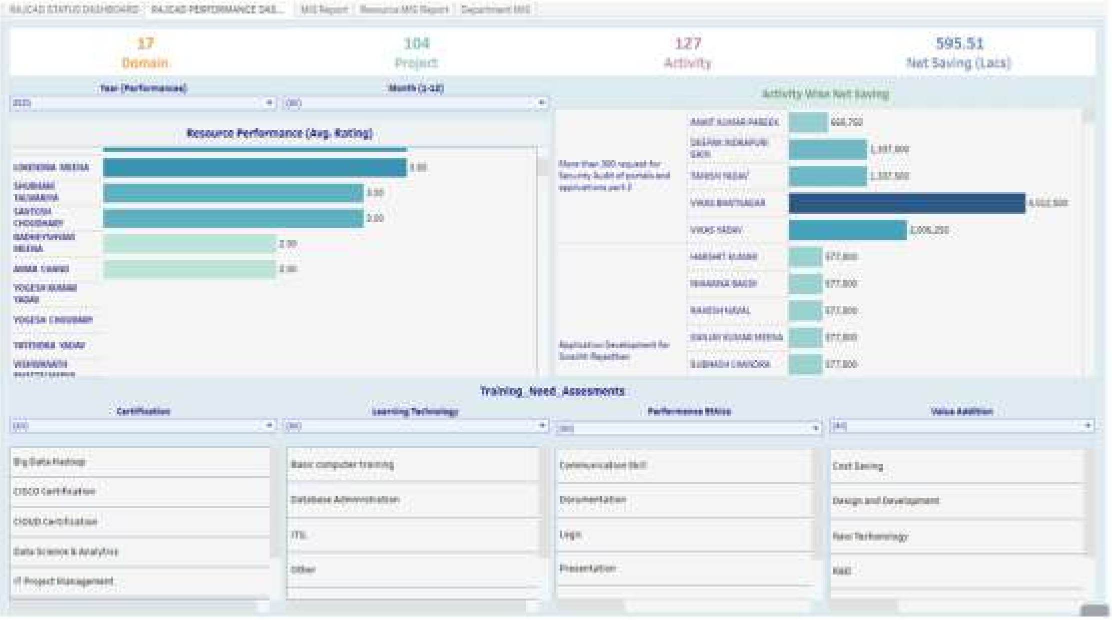

5.6 न्यूज मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम (News Media Management System)

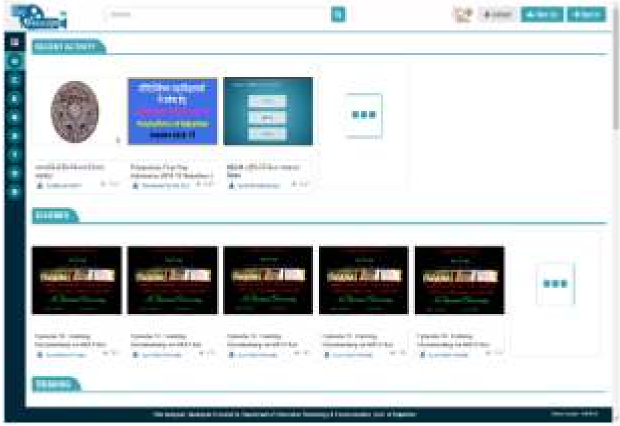

विभाग द्वारा बायोस्कोप पोर्टल पर मीडिया प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। इस पोर्टल पर राज्य भर के जनसंपर्क अधिकारी समस्त समाचार पत्रों की कटिंग मयविवरण अपलोड कर सकते हैं। न्यूज की गुणवत्ता के आधार पर जनसंपर्क अधिकारी अपनी रेटिंग भी प्रदान कर सकते हैं। यह पोर्टल राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों की न्यूज को एकत्रित करने में सक्षम है, तथा प्राप्त रेटिंग के आधार पर जिला एवं विभागों के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है एवं गवर्नेंस में सुधार किया जा सकता है। किसी विशेष न्यूज के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय संबंधित जिला कलेक्टर अथवा विभागाध्यक्ष से वास्तविक वस्तु स्थिति प्राप्त कर समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार यह पोर्टल मीडिया, प्रशासन एवं सरकार के मध्य जनता की समस्याओं को आगे लाने का एक सशक्त माध्यम है।

कुल समाचार अद्यतन किये गये: 79,478

5.7 बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS) विकसित किया गया है। BPAS एक IT आधारित वर्कफ्लो सिस्टम है जो आवेदन जमा करने से लेकर, अनुमति पत्र प्रदान करने तक का संपूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है। सिस्टम में बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी इंजिन शामिल हैं जो पूर्ण स्वचालित तरीके से प्रस्तुत किए गए 2D ड्रॉइंग/3D मॉडल की भवन निर्माण नियमों के आधार पर जाँच रिपोर्ट जारी करता है। एप्लीकेशन को एस.एस.ओ. एवं सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा विवरण मिल सके। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऑनसाइट निरीक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। डैशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जाते हैं। उक्त सिस्टम को राज्य के 3 विकास प्राधिकरणो एवं राज्य की 14 UITs और 216 ULBs में लागू किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के NOC सुविधा को भी इस प्रणाली से जोड दिया गया है।

वर्तमान प्रगति (UDH)

Sr. No	Application Received	Application Approved	Pending at Applicant	Pending at Department
1	25810	20916	3160	866

वर्तमान प्रगति (LSG)

Sr. No	Application Received	Application Approved	Pending at Applicant	Pending at Department
1	6181	2898	1286	1531

5.8 भू रूपांतरण प्रणाली (90A)

ऑनलाइन भूमि रूपांतरण प्रणाली (90 A) एक IT आधारित वर्कफ्लो प्रणाली है जो 90A के लिए आवेदन जमा करने से लेकर आदेश जारी करने तक की प्रक्रिया का पूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान करती है। एप्लीकेशन को एसएसओ एवं सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा विवरण मिल सके। प्रोजेक्ट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में IT के प्रभावी उपयोग द्वारा नागरिक सेवाएं प्रदान करने तथा नगर निकास न्यास एवं विकास प्राधिकरण की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। डैशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जाते हैं।

वर्तमान प्रगति (UDH)

Sr. No	Application Received	Application Approved	Pending at Applicant	Pending at Department
1	3351	2788	529	306

वर्तमान प्रगति (LSG)

Sr. No	Application Received	Application Approved	Pending at Applicant	Pending at Department
1	309	0	2	295

6 नीतिगत पहल

6.1 आधार अधिप्रमाणन (Authentication) ईकोसिस्टम

आधार प्रकोष्ठ द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए लाभार्थियों तथा अन्य निवासियों के आधार अधिप्रमाणन हेतु आधार अधिप्रमाणन तंत्र की स्थापना की गई है। इस कार्य हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के दो डाटा सेन्टर– हब्बल (बैंगलोर) तथा मानेसर (गुडगाँव) से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के डाटा सेन्टर को सीधा लीज लाईन से कनेक्ट किया गया है। इस तन्त्र द्वारा प्रतिदिन औसतन 14 लाख से अधिक अधिप्रमाणन (Authentication) किये जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष मे सम्पूर्ण राज्य में इस तंत्र के माध्यम से 52 करोड से अधिक अधिप्रमाणन (Authentication) किये गये हैं।

6.2 आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति

राज्य मे कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु आधार प्रकोष्ठ द्वारा आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम विकसित किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गये बायोमैट्रिक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के डाटाबेस से मिलान कर उपस्थिति दर्ज की जाती है। वर्तमान मे राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम के माध्यम से अपने कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इस सिस्टम पर विभिन्न विभागों के 66 हजार से अधिक कर्मचारी पंजीकृत हैं एवं प्रतिदिन औसतन 2 हजार से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज किये जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष मे इस सिस्टम पर 8.50 लाख ट्रांजेक्शन दर्ज किये गये है।

6.3 राजस्थान स्टार्टअप

राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप्स की गुणवत्ता को बढानें तथा स्टार्टअप्स को प्रदान किये जाने वाली सुविधाओं हेतु iStart नामक एकीकृत स्टार्टअप प्लेटफार्म तैयार किया गया है। iStart

प्लेटफॉर्म 100 प्रतिशत ऑनलाईन सार्वजनिक या निजी स्टार्टअप मान्यता, स्टार्टअप अपग्रेडिंग, स्टार्टअप स्किल बिल्डिंग, स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप फंडिग और स्टार्टअप एक्सेलेरेशन प्लेटफॉर्म है।

iStart राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और राज्य में निवेश की सुविधा के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। iStart पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2021–22 मे 299 नये स्टार्टअप पंजीकृत हुए, इनमें से 166 स्टार्टअप्स को स्वीकृत किया गया तथा 21 स्टार्टअप्स को convertible लोन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यय से स्टार्टअप्स को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाऐं निम्नानुसार हैं :–

Qrate

क्यूरेट देश की एकमात्र स्टार्टअप रेटिंग प्रणाली है। यह एक मूल्यांकन कार्यक्रम है जो कि स्टार्टअप की क्षमता और निवेश योग्यता पर एक विस्तृत रिर्पोट प्रदान करता है यह मूल्याकंन रिर्पोट स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी व्यावसायिक योजना को मजबूत करने में मदद प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स उत्पाद, रणनीति, व्यापार योजनाओं, बाजार की स्थिति को परिष्कृत करने और उनकी कमियों और सीमाओं पर काम करने के लिए बूट–कैंप आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष कुल 120 स्टार्टअप्स आवेदनों को क्यूरेट किया गया है।

iStart Nest Incubator

iStart Nest उदयपुर और कोटा, राजस्थान सरकार के इनक्यूबेशन सेन्टर हैं। इनके माध्यम से उभरते स्टार्टअप्स के लिए निःशुल्क इनक्यूबेशन की सुविधा प्रदान की जाती है। इस इनक्यूबेशन प्रोग्राम को स्टार्टअप्स को मेंटर एंगेजमेंट, रैपिड इटरेशन साइकल और फंडरेजिंग तैयारी के जरिए ट्रैक्शन हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। iStart Nest नवीन कंपनियों को लॉन्च करने और विकसित करने में स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए, निवेशकों तथा सलाहकारों के व्यापक नेटवर्क के साथ काम करता है। iStart कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए इन्क्यूबेशन केन्द्रों को भरतपुर, अजमेर और जोधपुर से आगे बढ़ाया जाकर तीन अन्य स्थानों बीकानेर, पाली और चुरू में बनाया जाना प्रस्तावित है।

टेक्नो हब

टेक्नो हब देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, जिसमें 700 से अधिक स्टार्टअप्स के बैठने की जगह है, जो कि 1,50,000 वर्ग फुट का इनक्यूबेशन स्पेस है। टेक्नो हब फ्री स्पेस, कनेक्टिविटी, आसान फंडिंग, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, विडियों कॉन्फ्रेसिंग तथा इन्वेस्टर कनेक्ट जैसी सविधाओं के लिए स्टार्टअप्स के लिए One-Stop समाधान है। राजस्थान में स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को गति प्रदान करने के लिए, टेक्नो हब उभरते स्टार्टअप्स को एक संपूर्ण समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।

Challenge for Change

चैलेंज फॉर चेंज के अन्तर्गत विभिन्न स्टार्टअप संगठनो को राजस्थान सरकार के साथ साझेदारी करने और राजस्थान को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम में युवा, कामकाजी पेशेवर और स्टार्टअप्स या तो अपने स्वयं के अभिनव विचार के साथ आगे आ सकते हैं या वे सरकार द्वारा 'परिवर्तन' लाने के प्रस्तावित परियोजनाओं को अपना सकते हैं।

विभाग द्वारा Challenge for Change परियोजना के अन्तर्गत राज्य के सामाजिक/ आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, क्षमताओ को बढ़ाने और बदलती प्राथमिकताओं के साथ प्रबंधन करने के लिए iStart Innovation Challenge (IIC) के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में योग्य स्टार्टअप्स को आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है –

- वीडियो कॉन्फ्रेसिंग समाधान (Video Conferencing Solution)
- आगंतुक और बैठक प्रबंधन समाधान (Visitor& Meeting Management Solution)
- डिजिटल स्टार्टअप आकलन (Digital Start-up Assessment)

इसके अन्तर्गत आगंतुक और बैठक प्रबंधन समाधान (Visitor & Meeting Management Solution) हेतु m-pass Technology स्टार्टअप का चयन कर लिया गया है तथा कार्यादेश देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्व. श्री राजीव गांधी जी के जन्मदिवस 20.08.2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 21 स्टार्टअप्स को राशि रू. 212 लाख की वित्तीय सहायता convertible लोन के रूप में प्रदान की

गई तथा इसी कार्यक्रम में वर्चुअल इन्क्युबेटर का भी शुभारम्भ किया गया। अभी तक कुल 8 सत्र वर्चुअल इनक्यूबेशन के आयोजित किये जा चुके हैं, जिसमें लगभग 400 स्टार्टअप्स् द्वारा भाग लिया गया।

स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणाऐं

6.04.0–प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढावा देने के लिए, केवल Project Appraisal के अधार पर बिना किसी शर्त के Seed Money के रूप में 5 लाख रूपये प्रति स्टार्टअप सहायता राशि दिया जाना प्रस्तावित।

52.00.0–विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए राज्य में 9 शैक्षिण संभाग स्तर पर Incubation Cell स्थापित किये जायेगें। इस प्रकार स्कूल स्टार्टअप कार्यक्रम प्रारम्भ करते हुए इन स्टार्टअप्स को Hub & Spoke Model के माध्यम से टेक्नो हब से जोडा जायेगा।

104.0.0– प्रदेश के विकास में युवाओं को आगे लाने व उनकी उद्यमिता का विकास करने की दृष्टि से प्रदेश में स्टार्टअप्स् को विभिन्न सुविधायें दे रहे हैं। वर्तमान में iStart कार्यक्रम बड़े शहरों तक सीमित है। राज्य का ग्रामीण युवा दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ–साथ Innovation करने की क्षमता को भी समय–समय पर प्रदर्शित कर चुका है। अतः आगामी वर्ष में Rural iStart कार्यक्रम वृहद् स्तर पर लागू किया जाना प्रस्तावित है।

105.0.0–युवाओं को प्रतिभा दिखाने व स्वरोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को, विभिन्न विभागों द्वारा, चयनित कार्यों हेतु 15 लाख रुपये तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रणाली के दिये जा सकेंगे।

398.00.0–स्पोर्टस व अन्य चयनित क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को Promote करने के लिए Private Sector के सहयोग से Challenge Events का आयोजन किया जायेगा। इन Events में चयनित स्टार्टअप्स को Venture Capital व Angel Funds द्वारा स्वीकृत राशि के बराबर राज्य सरकार द्वारा Matching Share दिया जायेगा।

बजट घोषणा 52.00.0 के सन्दर्भ में राजस्थान के स्कूली छात्रों में उद्यमशीलता और नवाचार की भावना को बढावा देने के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए स्कूल स्टार्टअप को शामिल कर आईस्टार्ट का विस्तार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा चयनित 66 मेंटर अध्यापकों के प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 10 नवम्बर 2021 को किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 9 शैक्षिणिक क्षेत्रों में इनक्यूबेटर की स्थापना की जायेगी। राज्य में जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेंर, कोटा, उदयपुर, पाली और चूरू इनक्युबेशन संेटर Hub & Spoke Model के रूप में टेक्नो–हब जयपुर की देखरेख में आईटी.आई. और पॉलिटेक्निक कॉलेजों तथा राज्य के स्कूलों में कक्षा 8 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को उद्यमिता और नवाचार के पहलुओं पर तैयार करेंगे।

7 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाऐं

7.1 राजस्थान सम्पर्क

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल आमजन को विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने एवं समाधान प्रक्रिया की ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। साथ ही, विभागीय अधिकारियों को आमजन द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान हेतु माध्यम प्रदान करता है।

परियोजना का उद्देश्य :-

- शिकायत निवारण के विभिन्न तरीकों से नागरिकों की शिकायत निवारण के लिए केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म की स्थापना।
- शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए प्रक्रिया।
- विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए रिपोर्ट के माध्यम से शिकायतों की उचित ट्रैकिंग और सक्षम निगरानी करना।
- सभी विभागों के लिए शिकायत निवारण की समरूप और प्रमाणीकृत प्रक्रिया।

परियोजना का लाभ :-

- विभिन्न विभागों और परियोजनाओं जैसे कि आपातकालीन सेवाऐं, मनरेगा, ईमित्र आदि के लिए कॉल सेंटर की सेवाएं प्रदान की जा रही है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेन्टर के अलावा राज्य के अन्य मुख्य विभाग भी CCC से एकीकृत हैं। प्रतिदिन लगभग 50,000 से अधिक कॉल, CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।
- शिकायत निवारण के लिए केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म ।
- इस प्रणाली के माध्यम से 88.56 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और 87.47 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। जिला स्तर पर विषयों और अधिकारियों को जोड़ने की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
- सभी विभागों के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की निगरानी की नई प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शुरू की गई है। कलेक्टर एवं विभागाधिकारियों को, शिकायतों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने और किसी भी शिकायत को उनके सम्बन्धित जिलों के दायरे में पुनः कार्यवाही का अधिकार दिया गया है।
- जिलेवार एवं विभागवार निगरानी को सक्षम बनाने के लिये विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड लॉन्च

किये गए हैं जो विभिन्न मापदण्डों पर सम्बन्धित जिलों के शिकायतों के समाधान से सम्बन्धित प्रदर्शन और रैकिंग को दर्शाते हैं।

- टोल–फ्री नम्बर 181 पर कॉल करके आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं तथा शिकायतों के समाधान की वास्तविक स्थिति जान सकते हैं। लिंक http://sampark.rajasthan.gov.in/, टोल–फ्री नम्बर 1800–180–6127 एवं 181 पर नागरिक सम्पर्क केन्द्र के माध्यम से राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा राजस्थान सम्पर्क के अन्तर्गत जनसमस्या दर्ज करा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह केन्द्र प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्य करता है।

परियोजना की वर्षवार प्रगतिः-

Rajasthan Sampark Report

Year Wise Comparison Report

वर्ष	कुल दर्ज शिकायत	निस्तारित शिकायत	निस्तारण %	औसत निस्तारण समय	कुल संतुष्ट	संतुष्टी %	राहत संतुष्टी	राहत संतुष्टी	रद्द संतुष्टी	रद्द संतुष्टी
2018	1761077	1634163	92.79%	56	684774	58.94%	329562	73%	355880	50%
2019	1842012	1805136	98.00%	50	740538	50.52%	359203	63%	510266	57%
2020	1912077	1769385	92.54%	31	872404	59.78%	456461	65%	346342	45%
01JAN2021-31Oct 2021	1703735	1703623	99.99%	25	860251	60.52%	461823	70.25%	365689	47.86%

7.2 नागरिक सम्पर्क केन्द्र (Citizen Contact Centre)

नागरिक सम्पर्क केन्द्र के माध्यम से टोल–फ्री नम्बर 1800–180–6127 एवं 181 पर राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा राजस्थान सम्पर्क के अन्तर्गत जनसमस्या दर्ज करा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेन्टर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्य करता है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेन्टर के अलावा राज्य के अन्य मुख्य विभाग भी CCC से एकीकृत हैं। प्रतिदिन लगभग 50000 से अधिक कॉल, CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे है।

लॉक डाउन दिनांक 24 मार्च 2020 से आज दिनांक तक लगातार राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाईन 181 वार रूम के द्वारा अपनी सेवाऐं 24X7 सुचारु दी जा रही है। अब तक वार रूम द्वारा 3,26,938 से अधिक शिकायतों/समस्याओं में से लगभग 3,24,748 (99.33%) शिकायतों/समस्याओ को समाधान हेतु विभागों/एजेंसियो को भेजा जा चुका है। प्रवासी राजस्थानियों के लिये पृथक से टोल फ्री नंबर (6127) जारी कर व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन किया गया हैं।

7.3 वीडियोवॉल

राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर तक के आमजन/निवासियों के लिये विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और लाईव ईवेन्ट्स की ऑडियो–वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रसारण करने के लिये विडियोवॉल की स्थापना की गई है। इस वीडियोवॉल पर स्वचालित सूचनाएं समय–समय पर प्रसारित होती हैं तथा कार्यक्रमों का दृश्य–श्रव्य प्रसारण (live webcast) होता है। वर्तमान में कोरोना महामारी से बचाव तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को वीडियोवॉल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

राज्य में स्थापित विडियोवॉल की संख्या जिलेवार निम्नानुसार है–

List of Installed Video-wall District Wise		
Sr. No.	**District**	**No. of Video-wall**
1	Ajmer	11
2	Alwar	15
3	Banswara	11
4	Baran	8
5	Barmer	18
6	Bharatpur	12
7	Bhilwara	13
8	Bikaner	9
9	Bundi	6
10	Chittorgarh	12
11	Churu	8
12	Dausa	7
13	Dholpur	6
14	Dungarpur	11
15	Hanumangarh	8
16	Jaipur	22
17	Jaisalmer	4
18	Jalore	9
19	Jhalawar	10
20	Jhunjhunu	9
21	Jodhpur	18
22	Karauli	7
23	Kota	7
24	Nagaur	15
25	Pali	11
26	Pratapgarh	6
27	Rajsamand	8
28	Sawai Madhopur	6
29	Sikar	10
30	Sirohi	6
31	Sri Ganganagar	10
32	Tonk	7
33	Udaipur	19
	Total	**339**

7.4 राजवीसी

राजस्थान सरकार ने विभाग मुख्यालय, विभाग कार्यालयों, जिला मुख्यालयों (प्रत्येक DHQ में 2), एसडीएम/तहसील कार्यालयों, नगर नगरों और ब्लॉक मुख्यालयों में हार्डवेयर आधारित वीसी सेटअप स्थापित किया है। जोधपुर में एक डीआर साइट भी मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई है ताकि पूरे राजस्थान में विफल होने की स्थिति में उपयोगकर्ता के लिए निर्बाध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुभव का प्रबंध किया जा सके। राजस्थान/राजनेट नेटवर्क का उपयोग पूरे राजस्थान में अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा की उपलब्धता के लिए किया जाता है।

वीसी सुविधा के अलावा, राजस्थान सरकार ने राज्य में संभाग मुख्यालय स्तर पर राज्य मुख्यालय जयपुर में दो और राजस्थान के बाकी संभाग मुख्यालयों उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में इमर्सिव टेलीप्रेजेंस स्टूडियो भी स्थापित किया गया है।

परियोजना का उद्देश्य:-

- यह परियोजना राज्य सरकार के कार्यालयों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वीसी कमरे स्थापित करके और वीसी कमरों के साथ–साथ टेलीप्रेजेंस समाधान का अधिकतम उपयोग करने और सिस्टम इंटीग्रेटर और डीओआईटीसी की मौजूदा टीम से प्रशासन का समर्थन करने के लिए एफएमएस सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार–से–सरकार (G2G) के कामकाज की समग्र प्रणाली में दैनिक कार्य, संचालन और गति, दक्षता, विश्वसनीयता और जवाबदेही लाना हैं।

परियोजना का लाभ :-

- यह परियोजना राज्य तंत्र के विभिन्न अंगों के मध्य संवाद एवं समन्वय का एक मजबूत आधार है।
- इसके माध्यम से बैठक कभी भी कहीं से भी की जा सकती है जिससे समय एवं धन की बचत होती है।
- इस परियोजना में ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में IP टेलीफोनी सेवा की सुविधा प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से प्रशासन एवं राज्य के नागरिकों में सीधा संवाद स्थापित हो सका है।

परियोजना की वार्षिक प्रगति :-

- सरकार ने राज्य भर के विभिन्न सरकारी विभागों में 570 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टूडियो रूम स्थापित किए हैं, जिनकी सहायता से राज्य सरकार सालाना 5000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित करती है।
- राज्य ने एक सॉफ्टवेयर–आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान भी खरीदा है। यह सेटअप राज्य के निवासियों को जोड़ने के लिए स्थापित किया गया है। इस मंच का उपयोग करके राज्य भर में प्रति माह 1500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- CM हेल्पलाइन 181 सहित सचिवालय, सभी सरकारी विभागों, कलेक्ट्रेट और ग्रामीण के अधिकारियों के बीच सीधे संचार के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक 18000+ आईपी टेलीफोन स्थापित किए गए हैं।

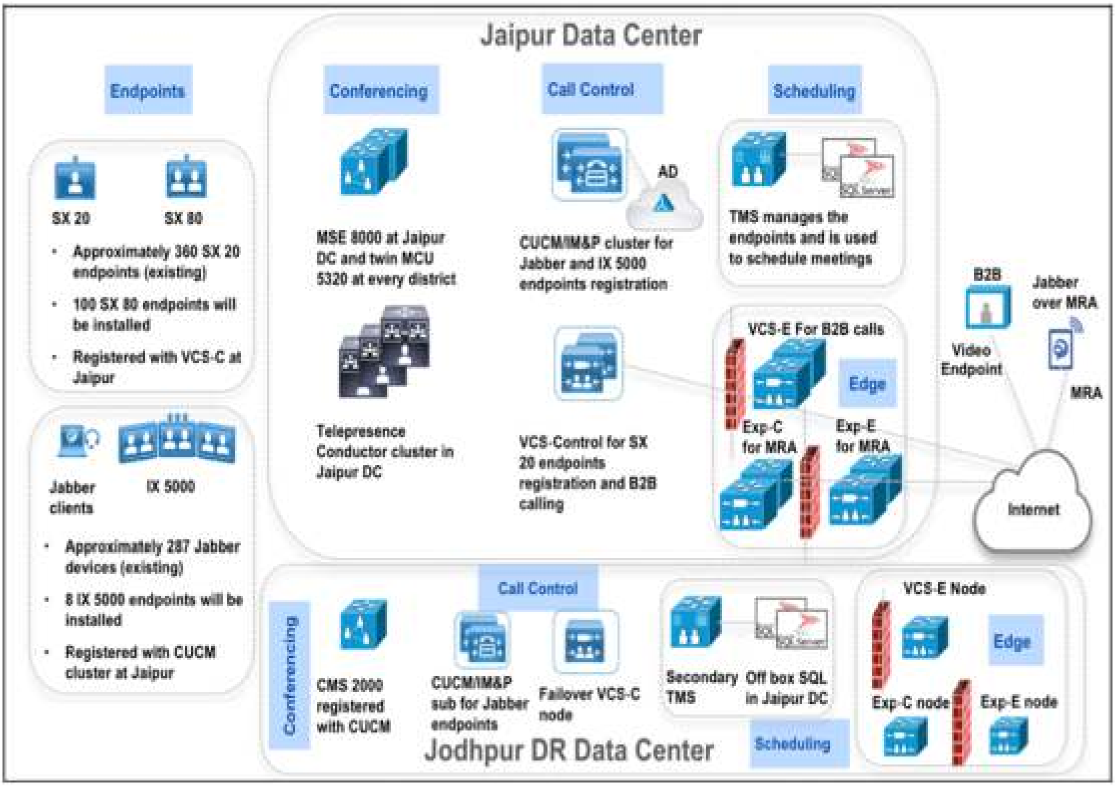

7.5 राजनेट

ग्रामीण राजस्थान के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, राजनेट परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को राजनेट कनेक्टिविटी द्वारा जोड़ा

गया है, जिसके माध्यम से ई–मित्र, ई–मित्र प्लस, आईपी टेलीफोन, वाई–फाई, स्काडा, बैंकिंग कॉरेस्पोडेंट आदि कों कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जा रही हैं।

परियोजना का उद्देश्य

इस परियोजना का उद्देश्य राज्य इंटरनेट नेटवर्क का निर्माण करके राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना है।

परियोजना का लाभ

इस सुविधा का उपयोग ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर G2G एवं G2C सेवाओं को ई मित्र के माध्यम से ग्रामवासियों को उपलब्ध करवाने के लिये किया जा रहा है। विभिन्न नेटवर्कों के प्रभावी उपयोग के लिए केंद्रीय एकीकृत नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र (CINOC) के माध्यम से नेटवर्क की निगरानी की जा रही है और नेटवर्क सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग 9400 से ज्यादा ग्राम पंचायते एमपीएलएस/वी–सेट तकनीकी के माध्यम से जोडी गयी हैं। वर्तमान मे भारतनेट परियोजना के अर्न्तगत ओएफसी के माध्यम से 7100 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

परियोजना की वर्षवार प्रगति

वर्षवार दी गयी राजनेट (वी–सेट/एमपीएलएस)/भारतनेट (ओएफसी) कनेक्टिविटी का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	वर्ष	राजनेट (वी-सेट/एमपीएलएस)	भारतनेट (ओएफसी)
1	2015-16	5438	-
2	2016-17	3409	-
3	2017-18	148	-
4	2018-19	142	-
5	2019-20	250	3902
6	2020-21	-	1811
7	2021-22	-	1408
	कुल ग्राम पंचायते	**9387**	**7121**

7.6 राज वाई-फाई

राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सुधारों के तहत ग्राम पंचायत एवं विभिन्न सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर वाई–फाई नेटवर्क स्थापित करने की कल्पना की है।

परियोजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से राज वाईफाई परियोजना संचालित की जा रही है।

परियोजना का लाभ

वाईफाई की सुविधा सभी विभागीय मुख्यालयों एवं समस्त जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में राज्य की कुल 11341 ग्राम पंचायतों (9892 पुरानी एवं 1449 नयी) में से 8710 ग्राम पंचायतों पर ग्रामीण क्षेत्र में कुल 9960 वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उक्त सुविधा संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका उपभोग लगभग 1.02 लाख उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। पिछले एक साल में 26,000 जीबी से भी अधिक डाटा का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित वाई–फाई नेटवर्क के द्वारा किया गया है। पूर्व में ज्यादातर ग्राम पंचायतों पर वीसेट/एमपीएलएस के माध्यम से वाई–फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई थी, जिसे वर्तमान में भारतनेट (BBNL) नेटवर्क पर स्थानांतरित किया जा रहा है। भारतनेट नेटवर्क पर वीसेट/एमपीएलएस कनेक्टिविटी की तुलना में बेहतर इंटरनेट स्पीड़ मिलती है जिससे भविष्य में, वाई–फाई नेटवर्क की उपयोगिता और बढ़ेगी।

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	वाईफाई हॉटस्पॉट की संख्या
2019–2020	5219	6190
2020–2021	2945	3082
2021–2022 (अक्टूबर, 2021 तक)	546	688
कुल	**8710**	**9960**

जिला-वार स्थापित वाईफाई हॉट स्पॉट की स्थिति

क्र.सं.	जिला	ग्राम पंचायत	वाईफाई हॉट स्पॉट
1	अजमेर	284	298
2	अलवर	469	493
3	बांसवाड़ा	301	374
4	बांरा	212	226
5	बाड़मेर	61	69
6	भरतपुर	357	439
7	भीलवाड़ा	382	393
8	बीकानेर	218	225
9	बूंदी	180	217
10	चित्तौड़गढ़	284	361
11	चुरू	249	256
12	दौसा	225	254
13	धौलपुर	149	181
14	डूंगरपुर	232	269
15	हनुमानगढ़	257	346
16	जयपुर	495	549
17	जैसलमेर	0	0
18	जालौर	262	275
19	झालावाड	249	320
20	झुंझुनूं	283	312
21	जोधपुर	337	346
22	करौली	217	263
23	कोटा	153	175
24	नागौर	470	556
25	पाली	333	383
26	प्रतापगढ़	150	203
27	राजसमंद	202	235
28	सवाई माधोपुर	196	218
29	सीकर	335	402
30	सिरोही	152	156
31	श्रीगंगानगर	321	396
32	टोंक	230	269
33	उदयपुर	465	501
	योग	**8710**	**9960**

7.7 राजस्वान

भारत सरकार द्वारा मार्च 2005 में देश भर के प्रत्येक राज्य में स्टेट वाइड़ एरिया नेटवर्क (SWAN) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा एनईजीपी की परियोजना (NeGP) के भाग के रूप में राज्य में डाटा, टेलीफोन और वीडियों संचार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परिकल्पित किया है। विभाग में राजस्वॉन परियोजना वर्ष फरवरी 2013 से निष्पादित की जा रही हैं।

वर्तमान में राजस्वॉन नेटवर्क में 273 ऊर्ध्वाधर (Vertical) पोईन्ट ऑफ प्रजेन्स (POP) स्थापित किये गए हैं जो कि राजस्थान राज्य में स्थित क्रमशः स्टेट हेड क्वाटर (SHQ-1) से संभागीय मुख्यालयों (Div-6) उनके जिला मुख्यालयों (DHQ-25) और उनके ब्लॉक हेड क्वाटर्स (BHQ-240) से जुड़े हुए हैं, जिससे उनसे जुड़े हुए कार्यालयों (HO-3529) का डाटा, टेलीफोन और वीडियो ट्रेफिक ले जाने की सुविधा प्रदान करता है।

राजस्वॉन के उर्ध्वाधर खण्ड (Vertical Segment) के अन्तर्गत प्रदान करवाई गई कनेक्टिविटी का प्रारूप निम्न प्रकार है:–

- जिला मुख्यालय (DHQ) POP पोईन्ट–टू–पोईन्ट 500 से 1000 एमबीपीएस की लीज लाईन सर्किट पर स्वयं सम्बन्धित संभागीय मुख्यालय (Div. HQ) से जुडे हुए हैं एवं सभी संभागीय मुख्यालय (Div. HQ) 500 एमबीपीएस से 10 जीबीपीएस की लीज लाईन सर्किट से स्टेट हेड क्वाटर (SHQ) राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC) से जुडे हुए हैं।

- प्रत्येक जिला मुख्यालय (DHQ) POP पोईन्ट–टू–पोईन्ट 100 एमबीपीएस की मुख्य लीज लाईन एवं 8 एमबीपीएस की वैकल्पिक लीज लाईन सर्किट पर स्वयं सम्बन्धित ब्लॉक हेड क्वाटर (BHQ) से जुडे हुए हैं। यह सुविधा बैन्डविथ सेवा प्रदाता बीएसएनएल एवं मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा किराये पर उपलब्ध करवाई गई हैं।

क्षैतिज खंड

राजस्वॉन क्षैतिज खंड (Horizontal Segment) के अन्तर्गत कुल 3529 अद्वैत इमारतें है जो कि राज्य सरकार के प्रदेश में फैले विभिन्न विभागों के लगभग 4800 से अधिक सरकारी इमारतों को कनेक्टिविटि उपलब्ध करवाता है। इस खंड के अन्तर्गत जिला स्तर, तहसील स्तर, पंचायत समिति और नई दिल्ली में स्थित 4 कार्यालय शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार की तरफ से राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आर.आई.एस.एल.) ने खुली निविदा (कार्य–आदेश संख्या F3.3(174)/RajCOMP/Pur/2004-III/036 दिनांक 15/04/2011) प्रक्रिया द्वारा मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड एवं टाईमैक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के गठबन्धन को राजस्वान ऑपरेटर के रूप में चयनित किया था।

परियोजना बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रान्सफर (BOOT) मॉडल पर आधारित है।

वर्तमान में मैसर्स आईबीएम इंड़िया लिमिटेड को खुली निविदा (कार्य–आदेश संख्या F4.6(299)/RISL/Tech/2018/8045 दिनांक 18-12-2018) प्रक्रिया द्वारा राजस्वान एवं सेकलेन ऑपरेटर के रूप में चयनित किया गया है। मैसर्स आईबीएम इंड़िया लिमिटेड संचालन एवं सुविधा प्रबंधन कार्य के लिए सेवाऐं 01 मार्च 2019 से लगातार प्रदान कर रहा हैं।

परियोजना का उद्देश्यः-

राजस्वॉन राज्य भर में विभिन्न विभागों के बीच संचार चैनल की स्थापना, राज्य के निवासियों को सेवा की गुणवत्ता में सुधार, प्रशासनिक दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने एवं इलेक्ट्रॉनिक शासन (ई–शासन) के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्‌देश्य से कार्यरत है।

परियोजना का लाभ :-

a. जिला, ब्लॉक स्थित राजकीय कार्यालयों को कनेक्टिविटी।
b. ब्लॉक स्तर पर स्थित राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों में कनेक्टिविटी।
c. वाई–फाई सेवा, वीड़ियो कॉन्फ्रेंन्सिंग सेवा, आई.पी. फोन इत्यादि के लिये कनेक्टिविटी।
d. विभिन्न कार्यालयों एवं नगरीय सुरक्षा हेतु लगाये गये कैमरों को कनेक्टिविटी हेतु ऑप्टिकल फाईबर केबल (OFC)।

परियोजना की वर्षवार प्रगति :-

Segment	Div. HQ		DHQ		BHQ	
Year	2020	2021	2020	2021	2020	2021
No of Locations	6		26		240	
10 Gbps (Div.HQ to SHQ) Main Link	4	4				
1 Gbps (Div.HQ to SHQ) Alt. Link	2	2				
500 Mbps (Div.HQ to SHQ) Main Link	2	2				
500 Mbps (Div.HQ to SHQ) Alt. Link	0	2				
1 G Link (DHQ to SHQ)			1	16		
500 Mb (DHQ to Div. HQ)			25	10		
50 Mb/35 Mb Other link (DHQ to Div. HQ/ SHQ)	6	6	26	26		
1 G Link (BHQ to SHQ) Main B/w					1	1
100 Mb (BHQ to SHQ) Main B/w					44	44
100 Mb (BHQ to DHQ)Main B/w					56	193
4 Mb BSNL (BHQ to DHQ) Main B/w					139	2
8 Mb Airtel (BHQ to DHQ) Alt. B/w					0	224
4 Mb Airtel (BHQ to DHQ) Alt. B/w					236	16

Rajasthan State Wide Area Network (RajSWAN)

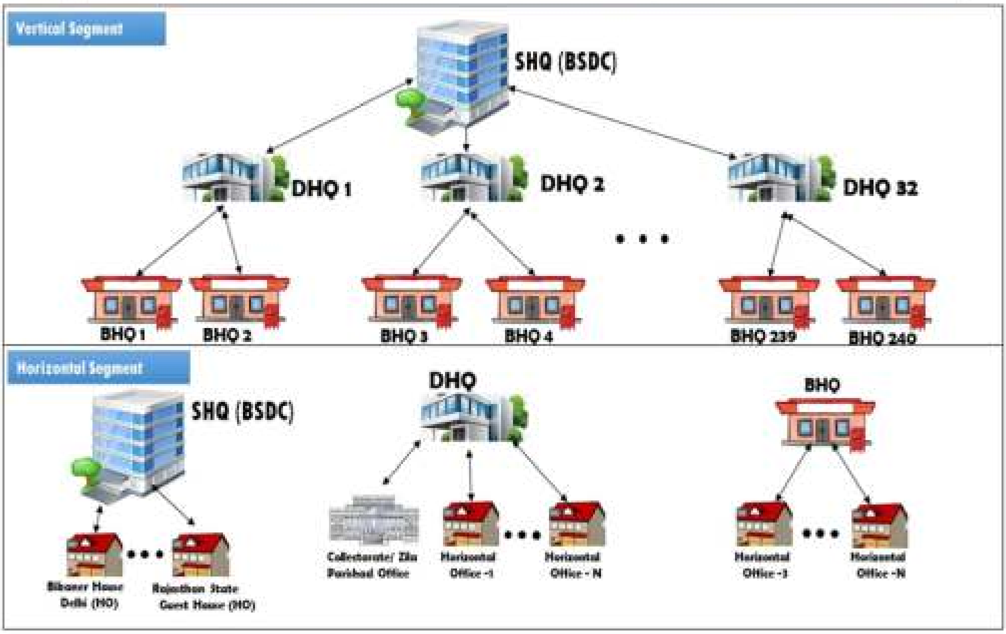

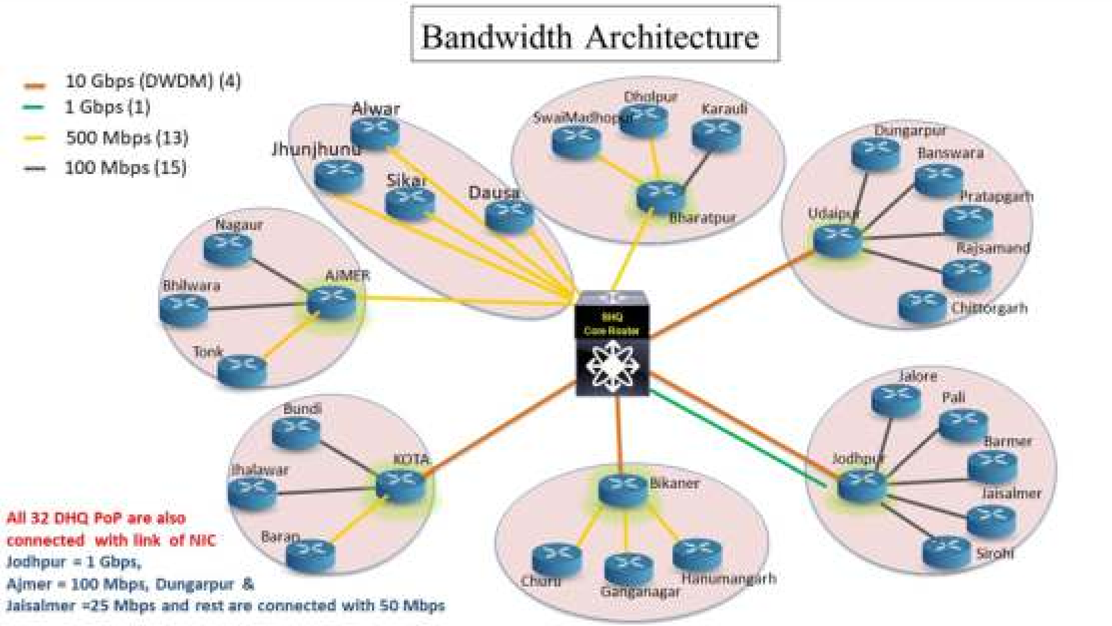

7.8 ई-मित्र

राज्य मे लगभग 87269 से अधिक ई—मित्र किओस्कों (लगभग 60594 ग्रामीण क्षेत्र मे एवं 26675 शहरी क्षेत्र में) के माध्यम से आम जन को सरकारी/गैर—सरकारी क्षेत्र की लगभग 475 नागरिकोन्मुखी सेवाएं प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली से घर के नजदीक उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आम जन द्वारा ई—मित्र की सेवाएं ई—मित्र कियोस्क, मोबाइल एप, ऑनलाइन पोर्टल एवं ई—मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से भी प्राप्त की जा रही हैं।

7.9 ई-मित्र प्लस

ई–मित्र प्लस, ई–सेवा प्रदान करने में एक क्रान्तिकारी कदम है। मानवरहित स्वयंसेवी ई–मित्र प्लस कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों / संगठनों / सार्वजनिक स्थानों एवं साथ ही गैर सरकारी स्थानों पर स्थापित किया गया है। ई–मित्र प्लस भारत में अपनी तरह का पहला कियोस्क है। इन पर नकद, डेबिट / क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की कई सुविधाएं हैं और बायोमेट्रिक के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं जैसे बिल आदि का भुगतान भी कर सकते हैं। इन स्वचालित कियोस्कों से विभिन्न प्रमाण–पत्र, ई–कार्ड (आधार, जन–आधार), पी.वी.सी. कार्ड पर जनआधार प्रिंट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, जन सुनवाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं राजकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में 14,891 ई–मित्र प्लस कियोस्क ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्थापित हैं।

7.10 राज-पेमेंट प्लेटफॉर्म

सभी भुगतानों, प्राप्तियों और लेखा प्रक्रियाओं के लिए एकल एप्लीकेशन जो भुगतान के संवितरण के लिए प्लग–इन के रूप में किसी भी संगठन द्वारा उपयोग किया जा सकता है। एप्लीकेशन में व्यक्तियों / फर्मों के लिए भुगतान की सुविधा है। किसी संगठन की सभी बैंकिंग प्रक्रियाओं का स्वचालन राज पेमेंट के माध्यम से किया जा सकता है।

वर्तमान स्थिति

कुल परियोजनाएं	523
कुल भुगतान	185.38 Cr.

भविष्य की योजनाएं

- स्वीकृति प्रबंधन मॉड्यूल को रोल आउट करना।
- ट्रेज़री आधारित भुगतान के लिए SoEE एप्लीकेशन और राज ईआरपी के लेखांकन और वित्त (AFM) मॉड्यूल के साथ एकीकरण।
- अन्य विभागों में उनकी आवश्यकता के अनुसार इसे लागू करके इसके दायरे को बढ़ाना।

7.11 राज ई-साईन (Raj E-Sign)

प्रदेश के नागरिकों को आधार आधारित एकीकृत इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार के उपक्रम RISL को Controller of Certifying Authorities, Government of India द्वारा 19 सितम्बर 2019 को Certifying Authority घोषित किया गया है। अब RISL के माध्यम से राज्य के नागरिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिजीटल सिग्नेचर एवं ई–साईन जैसी सुविधाएं दी जाने लगी है। ई–साईन प्राजेक्ट कागज रहित पारदर्शी सरकार की तरफ एक बडा कदम है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने से राज्य के राजस्व मे भारी बचत होगी। राज ई–साईन ऐप्लीकेशन पर प्रतिदिन औसतन 20 हजार एवं पिछले एक वर्ष मे 75 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज किये गये हैं।

7.12 स्टेट पोर्टल

स्टेट पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सरकार से संबंधित सभी जानकारी यथा सचिवालय, प्रशासन, विभिन्न विभाग, निर्वाचन, नगरपालिका, विधानसभा, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ई–बाजार, आमजन से जुडी सुविधाएं, राजस्थान की कला, संस्कृति, विरासत, पर्यटन संबंधी जानकारी/व्यवहार आदि एकीकृत रूप से उपलब्ध करवाया जाता है। पोर्टल पर सरकारी विभागों के वेब पोर्टल/वेबसाईट सम्बधित जानकारी उपलब्ध हैं जिनसे विभिन्न

योजनाओं द्वारा आमजन को प्राप्त सेवाओं से जुडी जानकारी एवं लेन–देन इत्यादि का ब्यौरा सर्व सुलभ उपलब्ध है।

7.13 ई-संचार 2.0

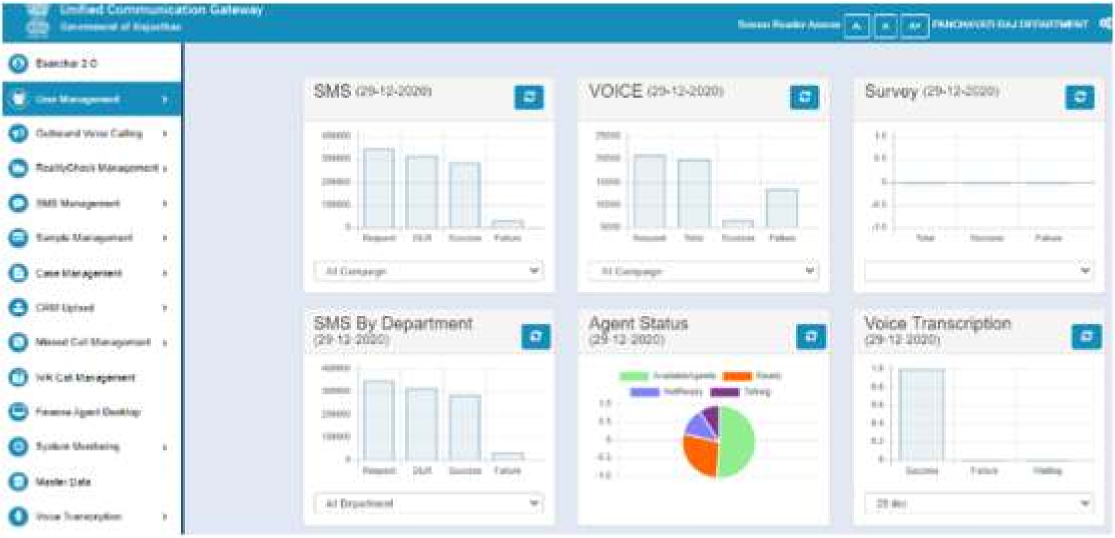

ई–संचार ऐप्लीकेशन विभिन्न ई– गवर्नेंस परियोनाओं को जनसाधारण एवं विभागीय कर्मचारियों को विभिन्न सूचनाएं एवं अलर्ट एस.एम.एस. एवं वॉइस कॉल के माध्यम से भेजने की सुविधा उपलब्ध करवाता है तथा आम जन से एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं/संदेशों को परियोजनाओं को उपलब्ध करवाता है। इसे वेब आधारित ए.पी.आई. के माध्यम से किसी भी विभागीय ऐप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसके 'आई–फेक्ट/रियलिटी चेक' मॉड्यूल का उपयोग किसी भी विभागीय योजना/परियोजना हेतु आई.वी.आर.एस. के माध्यम से आम–जन के बीच सर्वे करने हेतु किया जा सकता है।

परियोजना का उद्देश्य:

परियोजना का मुख्य उद्देश्य सभी ई–गवर्नेंस परियोजनाओं हेतु एस.एम.एस. एवं वॉइस कॉल के माध्यम से नागरिकों तक सूचना पहुँचाने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है।

परियोजना का लाभ :

ई–गवर्नेंस परियोजनाओं को एस.एम.एस. एवं वॉइस कॉल की सेवाएं एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध होती हैं। ई–संचार परियोजना के मूल–सेवा प्रदाताओं के परिवर्तन की स्थिति में इंटीग्रेटेड ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के स्तर पर किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है।

परियोजना की वर्षवार प्रगति :

SMS				
Year	2018	2019	2020	2021
SMS Sent	12,11,87,913	49,51,17,753	1,71,19,41,931	40,99,40,518

Outbound Voice Calls				
Year	2018	2019	2020	2021
Calls Made	98,032	50,02,085	98,12,892	1,19,62,034

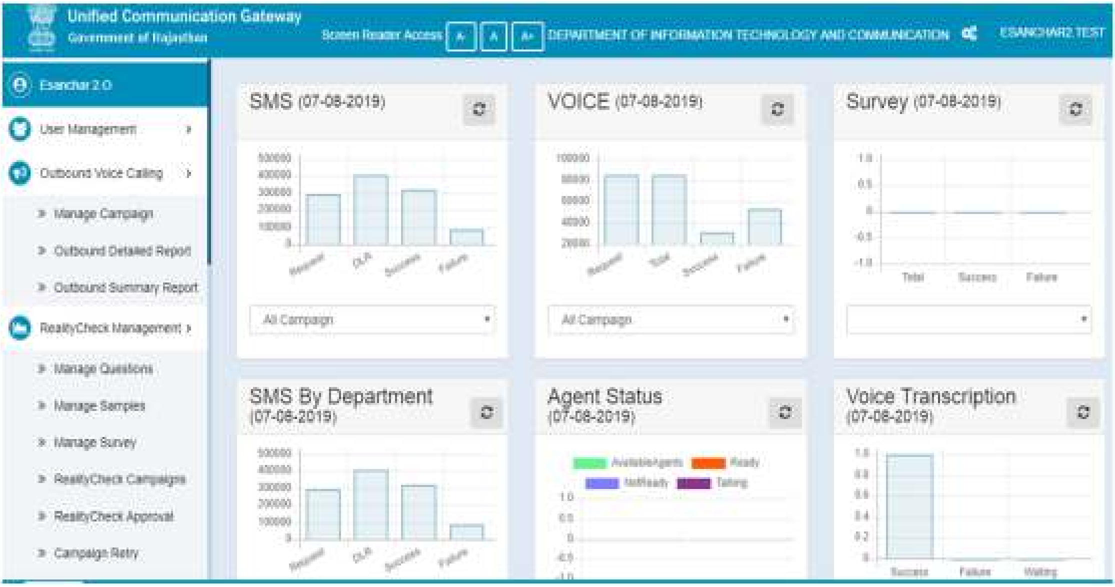

7.14 राज्य मास्टर केन्द्रीयकृत डाटा हब

यह हब विभिन्न विभागों की ऐप्लीकेशन की आवश्यकतानुसार हर प्रकार का मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इस हब के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मास्टर डाटा जैसे कि भौगोलिक वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के आंकडे जो विभागीय ऐप्लीकेशन में प्रयुक्त होते है, सभी उपलब्ध हैं। डाटा हब विभागीय ऐप्लीकेशन्स को वेब सर्विसेज के माध्यम से मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इससे विभागीय ऐप्लीकेशन्स मे मास्टर डाटा के इंटीग्रेशन मे समय और धन की बचत होती है। वर्तमान में राज्य के 32 विभाग राज–मास्टर सर्विस का उपयोग कर रहे हैं। राज–मास्टर ऐप्लीकेशन में विभिन्न प्रकार के डाटा के 148 मास्टर उपलब्ध हैं। पिछले एक वर्ष में 32 विभागों द्वारा अपनी विभिन्न ऐप्लीकेशन्स में लगभग 28 हजार बार राज–मास्टर में उपलब्ध डाटा का उपयोग किया गया है।

7.15 राज-काज (इन्टीग्रेटेड राज ई- ऑफिस)

राज्य सरकार के सभी राजकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्ड/कॉरपोरेशन इत्यादि में विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाईन करते हुए कर्मचारियों/अधिकारियों के हित में राजकाज (इन्टीग्रेटेड राज ई–ऑफिस) परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसमें निम्नलिखित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के क्रियान्वयन को प्राथमिकता से किया जा रहा है:—

क्र.स.	मॉड्यूल का नाम	आवेदनों की संख्या
1.	अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश नकदीकारण का आवेदन (Leave Management & Leave Encashment Application)	7,23,358
2.	वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (Annual Performance Appraisal Report)	57,308
3.	वार्षिक अचल संम्पत्ति विवरण (Annual Immovable Property Return)	6,04,822
4.	डाक प्रबंधन (Dak Receipt & Dispatch Management)	8,26,806
5.	फाईल प्रबंधन (File Tracking System & e-File Management)	1,63,884
6.	अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)	16,013
7.	राजकीय आवास प्रबंधन (Govt. Accommodation Management)	550

अन्य सॉफ्टवेयर मॉड्यूलः-

विभागीय संरचना और कर्मचारी सूचना प्रणाली (Organization & Employee Information System), स्थानान्तरण एवं पदोन्नति प्रबंधन (Transfer & Promotion Admin), स्टोर प्रबंधन (Store Management), यात्रा प्रबंधन (Tour Management), कैबिनेट मैमो एवं बैठक प्रबंधन (Cabinet Memo & Meeting Management), टेलिफोन बिल पुर्नभुगतान (Telephone Bill Reimbursement), कार्मिक सूची प्रबंधन (Civil List Management) और आगन्तुक पास प्रबंधन (Visitor Pass Management) इत्यादि के द्वारा। वर्तमान में सॉफ्टवेयर से 73 प्रशासनिक विभागों के 394 संगठनों के 44,721 कार्यालयों तथा 7,18,261 अधिकारी/कर्मचारी राजकाज परियोजना से जोड़े जा चुके हैं।

7.16 राज ई-वॉल्ट

राज ई–वॉल्ट के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा दी जा रही है। यह आधिकारिक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के साथ–साथ नागरिक के व्यक्तिगत दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कागजी कार्यवाही की आवश्यकता को कम करना और अपने प्रमाणपत्र/दस्तावेजों को नागरिकों तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करना हैं।

परियोजना का उद्देश्य

राज ई–वॉल्ट 15 से अधिक विभागों द्वारा नागरिकों को जारी किये गए प्रमाण पत्रों को संगृहीत करने के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा हैं।

राज ई–वॉल्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें निम्नलिखित हैंः–

1. विभागीय सेवाएंः

- विभागीय दस्तावेजों/फाइलों को जोडना।
- विभागीय दस्तावेजों/फाइलों को निकालना/पुनः प्राप्त करना(फेच/रिट्रीव) ।
- विभागीय दस्तावेजों/फाइलों को बदलना (रिप्लेस)।

2. नागरिक सेवाएंः-

- नागरिक का अकाउंट बनाना।
- नागरिक के दस्तावेजों/सर्टिफिकेट को जोडना।
- नागरिक के दस्तावेजों/सर्टिफिकेट को निकालना/पुनः प्राप्त करना(फेच/रिट्रीव)।
- जन आधार पारिवारिक अकाउंट से जोडना।

परियोजना का लाभ

विभागों/संस्थानों द्वारा जारी किये गए प्रमाणपत्रों में जन्म प्रमाण पत्र से लेकर स्नातक प्रमाणपत्र तक के विभिन्न दस्तावेज और प्रमाण पत्र शामिल हैं। दस्तावेजों को डिजिटल रूप से eSign करने के लिए राज eSign और Aadhaar एप्लीकेशन के साथ राज ई–वॉल्ट को एकीकृत किया गया है।

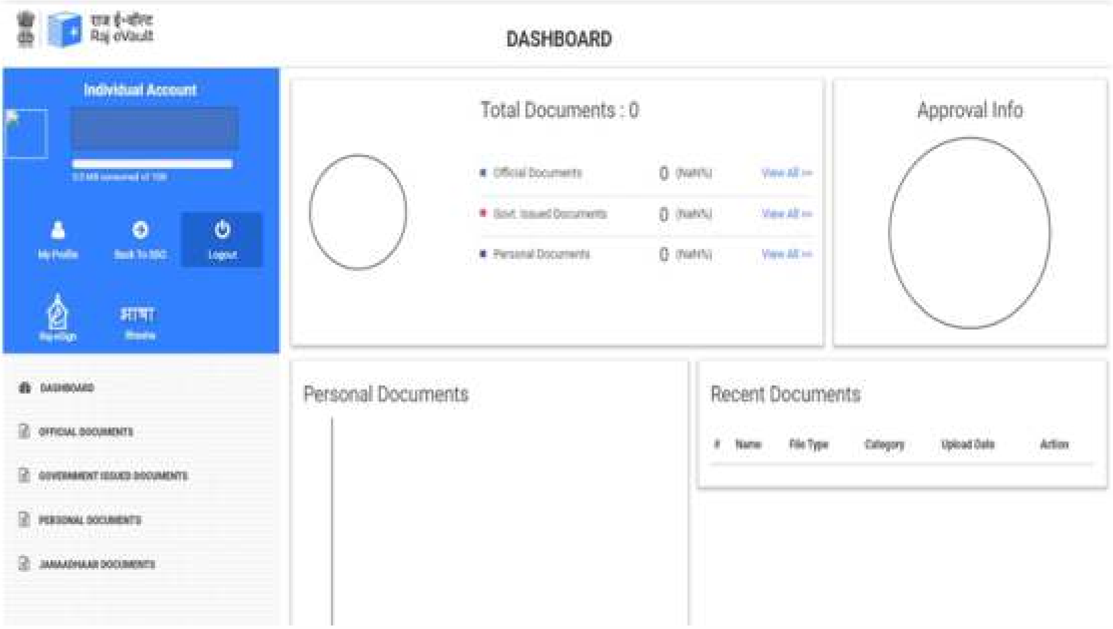

7.17 सिंगल साईन ऑन (SSO)

राजस्थान सरकार की विभिन्न वेबसाईट्स एवं ऐप्लीकेशनों का उपयोग करने के लिए "सिंगल साईन ऑन", एक यूजर नेम एवं पासवर्ड की सहायता से जो कि सिंगल साइन ऑन (sso.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है, जिसके फलस्वरूप अलग–अलग यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं हैं और एक ही स्थान पर विभिन्न ऐप्लीकेशनों का उपयोग सुगमता से किया जा सकता हैं। SSO के माध्यम से राजस्थान सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, ई–मित्र संचालकों, निवेशकों एवं नागरिकों को अब एक डिजिटल पहचान दी जा रही हैं, जिसकी सहायता से उपयोगकर्ता विभिन्न विभागों की ऑनलाइन ऐप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। सिंगल साईन ऑन के अंतर्गत अभी तक लगभग 199 लाख SSOID, 216 G2G एवं 144 G2B/G2C ऐप्लीकेशन्स् उपलब्ध करवाई गयी हैं।

Total Visiters : 1,44,52,46,336

Total Users : 37,38,334

7.18 राजबोट

राज्य सरकार के साथ नागरिकों के संवाद को बेहतर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए एक

प्लेटफॉर्म की स्थापना हेतु इस परियोजना की परिकल्पना की गई है। राजबोट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमता) आधारित चैटबोट है। नागरिक, राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं जैसे कि रजिस्ट्रेशन, सामान्य सूचना FAQs एवं बुकिंग सेवाओं का उपयोग इसके माध्यम से कर सकते हैं।

परियोजना का उद्देश्य

राजबोट में हिंदी एवं अंग्रेजी में संचार करने की योग्यता एवं एक साथ कई उपयोगकर्ताओं द्वारा एक ही समय पर पूछे जाने वाले विभिन्न सवालों के जवाब देने की क्षमता है। राजबोट अपनी इन्हीं क्षमताओं के कारण मानव प्रयासों को कम कर नागरिकों के विभिन्न निवेदनों को सक्षम तरीके से प्रबंधित करता है। यह प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से सेवायें प्रदान करता है।

परियोजना का लाभ

वर्तमान में राजबोट को राज्य सरकार के राजकौशल, जनसूचना, वन विभाग एवं राजस्थान संपर्क वेबसाइट एवं वॉट्सएप मोबाइल एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया गया है। जिससे उपयोगकर्ता को वांछित सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं।

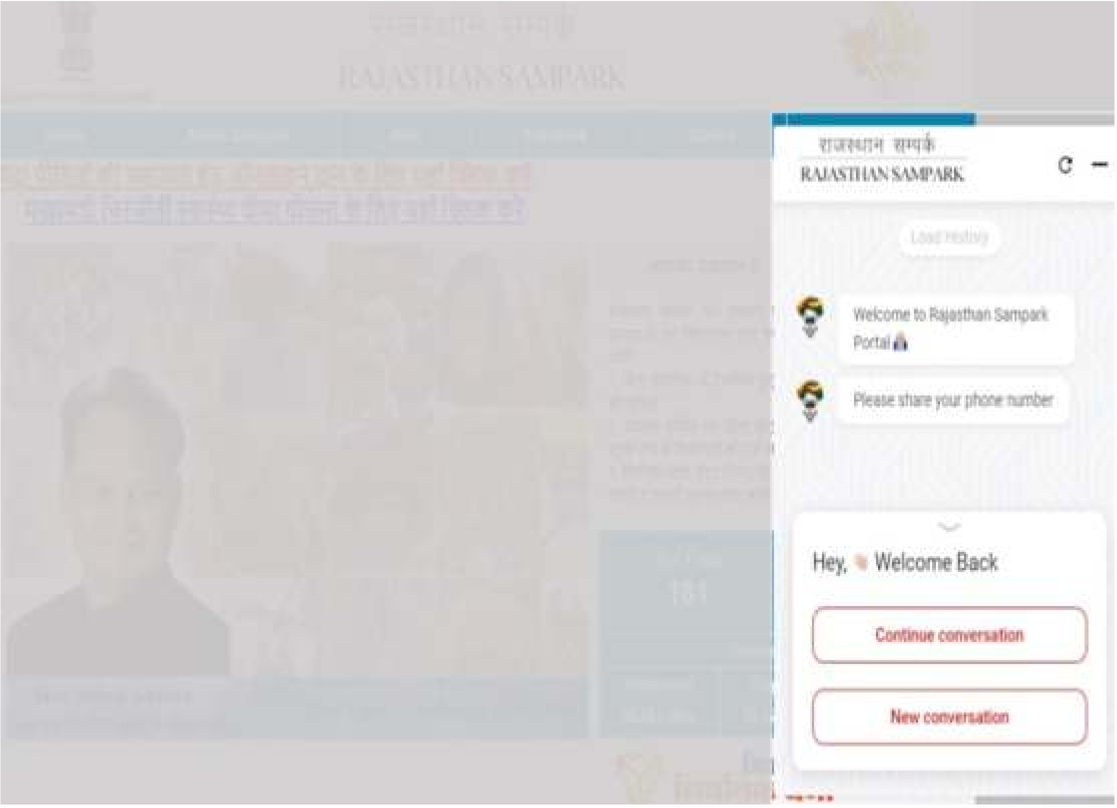

7.19 रोबोटिक्स

इलैक्ट्रोनिक माध्यम से संचालित रोबोट विभिन्न आवश्यक स्थानों पर मानव की तरह सहजता से प्रश्नों के उत्तर और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी के माध्यम से आमजन तक राज्य की विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। ह्यूमनॉइट रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) पर कार्य करता है तथा 19 देशी विदेशी भाषाओं को समझकर बात कर सकता है। यह रोबोट्स वॉईस इंटरेक्शन पर भी काम करते हैं।

रोबोट प्राकृतिक भाषा के इनपुट को समझता है और नागरिकों के साथ बातचीत करने के लिए मशीन लर्निंग भाषा का उपयोग करता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे 2 मनुष्य परस्पर संवाद कर रहे हों। वर्तमान में राजस्थान सरकार के पास 5 Nao Robot और 1 Pepper Robot है।

परियोजना का उद्देश्य

- मौजूदा एन.एल.पी. और मशीन लर्निंग क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए चौटबॉट के साथ एकीकरण।
- अन्य संबंधित अनुप्रयोगों तथा डाटाबेस के साथ एकीकरण के लिए समाधान में आवश्यक इंटरफेस विकसित करना।
- कार्यक्रमों की मेजबानी करना, ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यशालाओं का आयोजन करना, प्रशिक्षण प्रदान करना।

- रोबोटिक तकनीक/गतिविधियों का प्रदर्शन अर्थात जन आधार योजना से संबंधित आगंतुकों के साथ बातचीत, फोटो, पंजीकरण आदि के माध्यम से विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों और स्मारकों की पहचान।

7.20 आधार डाटा वॉल्ट

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देशानुसार आधार संख्या व उससे संबंधित सूचनाएं सुरक्षित डाटा वॉल्ट बनाकर उसमें रखना अनिवार्य है। विभाग ने इसके लिए केन्द्रीकृत आधार डाटा वॉल्ट का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा सभी विभागीय डाटाबेस जहाँ आधार नम्बर विद्यमान है, उन सभी ऐप्लीकेशन्स में आधार डाटा वॉल्ट का निर्माण समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। वर्तमान मे आधार डाटा वॉल्ट में 6.20 करोड से अधिक आधार एवं उससे संबंधित डाटा सुरक्षित रूप से संग्रहित है एवं इसकी संख्या लगातार बढती जा रही है।

7.21 राज सेवा द्वार (Raj Sewa Dawar)

- राजसेवा द्वार राजस्थान ई–गवर्नेंस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का हिस्सा है, तथा सभी ऐप्लीकेशन कनेक्टिविटी के लिए एक केंद्रीकृत मिडलवेयर सर्विस बस है।
- राज सेवा द्वार डिजिटल सेवाओं की केन्द्रीकृत प्रणाली है जिसके अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी डिजिटल ऐप्लीकेशन सेवाऐं एक दूसरे से साझा की जाती है।
- राज सेवा द्वार सभी सेवाओं को केंद्रीय रूप से सूचीबद्ध करके सभी G2G और G2B सेवाओं में कागजी कार्रवाई को कम करता है।

- राजसेवा द्वार का काम राजस्थान के समस्त विभागों की समस्त सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध करवाना है जहां से एक विभाग अन्य विभागों की सेवाओं का उपभोग कर सकता है।
- राजसेवा द्वार राजस्थान के लिए केन्द्रीकृत एपीआई स्टोर है जहां सभी सेवाएं सरकारी विभागों, बाहरी डेवलपर्स/एजेंसियों/संगठनों द्वारा इस ईएसबी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एपीआई/वेब सेवाओं के रूप मे उपयोग के लिए उपलब्ध है।
- राजसेवा द्वार भाषा बाधा मुक्त सेवा साझीकरण को सक्षम बनाता है। यह सभी सर्विसेज के लिए लॉग्स और आंकडे एक ही जगह पर उपलब्ध करवाता है।

राज सेवा द्वार पर एकीकरण और उपयोग:

- 1000 से अधिक राज्य सेवाओं को राज सेवा द्वार के साथ एकीकृत किया गया है।
- राज सेवा द्वार के माध्यम से अब तक कुल 432 करोड़ से अधिक लेनदेन किए जा चुके हैं और प्रतिदिन औसतन 30 लाख लेनदेन किए जा रहे हैं।
- 40 से अधिक राजकीय विभाग राज सेवा द्वार के साथ एकीकृत हैं।
- राज सेवा द्वार के माध्यम से जुड़े कुछ विभाग निम्नलिखित हैं:
  - सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
  - पुलिस
  - वन
  - कृषि
  - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
  - परिवहन
  - श्रम और रोजगार, आदि।

7.22 डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर

आज के सूचना युग में, सूचना/डाटा का आकार तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं का वितरण करना भी अत्यधिक मात्रा में डाटा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

विभिन्न विभागों और परियोजनाओं के विशाल मात्रा में संरचित/असंरचित डाटा (विचार, पोस्ट, चित्र आदि) का प्रबंधन करने के लिए यह डाटा, बिगडाटा एनालिटिक्स के तहत एकत्र किया

जाता है और इस डाटा का उपयोग विश्लेषण और ग्राफिकल प्रतिरूप बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही विभिन्न सार्वजनिक वितरण मंच से, विषम डाटा/सूचना से गहरी अंतर्दृष्टि (Insights) प्राप्त करने के लिए भी बिगडाटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है।

परियोजना के उद्देश्य

- विभाग अवलोकन हेतु KPIs की पहचान और KPIs से कार्यदक्षता का तुलनात्मक विश्लेषण।
- रुझान और पूर्वानुमान।
- नीति अनुपालना।
- साक्ष्य आधारित निर्णय लेना।

परियोजना के लाभ

यह परियोजना विभिन्न राजस्व उत्पन्न करने वाले विभागों (CTD, Excise, Mining, Transport, Registration & Stamp) को न केवल संबंधित विभाग के डाटा का उपयोग करके बल्कि क्रॉस डिपार्टमेंटल डाटा विश्लेषण का उपयोग करके कराधार में वृद्धि करने में मदद करती है।

इसके अलावा, विभिन्न विभागों में लागू किए गए कुछ डैशबोर्ड रिपोर्ट्स जो नीति निर्माण और निर्णय लेने में मदद करते हैं, निम्नानुसार हैंः–

- 7इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विश्लेषण: समाचार विश्लेषिकी

- हॉटस्पॉट विश्लेषण
- राजस्थान सम्पर्क जिला/विभाग रैंकिंग डैशबोर्ड
- ई–मित्र डैशबोर्ड
- डीलरों का 360 डिग्री विश्लेषण
- कोविड–19 डैशबोर्ड
- राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म (RPP)
- कोविड अस्पताल बेड
- राजनेट एसेट मॉनिटरिंग
- जनजाति क्षेत्रीय विकास (TAD) विभाग द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान
- सामान्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (GCMS)
- ई–वे बिल के माध्यम से यात्री बस परमिट का उल्लंघन जांचना
- BSBY डैशबोर्ड
- डाटा लेक
- वन्यजीव

8 मानव संसाधन विकास

8.1 सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण

विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अतिआवश्यक है। इसके लिये विभाग द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाता है।

8.2 इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है उसका नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।

8.3 राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड को मिटाने हेतु स्थापित राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुर्नभरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। साथ ही नागरिकों के लिए भी 'RSCIT' पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उतीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र दिया जाता है। इसके माध्यम से लगभग 6604 ज्ञान केन्द्र (ITGK) खोले गये हैं जिनमें लगभग 59.65 लाख प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षित किया गया है। (कोविड–19 के कारण) वर्ष 2021 के दौरान नए ज्ञान केन्द्र नहीं खोले गये हैं तथा लगभग 2.89 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

9. अन्य विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी सहायता

9.1 वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी-पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)

वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS) की अवधारणा और Architectural डिजाइन रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जवाई बाग तेंदुआ संरक्षण रिजर्व, और झालाना नेचर पार्क जैसे वन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए, एक एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी समाधान है जो उच्च स्तरीय थर्मल/ऑप्टिकल कैमरे, पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क और संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली, ड्रोन आदि से लैस है। WS&APS ऐप्लीकेशन अक्टूबर, 2016 में प्रारम्भ हुई एवं वर्तमान में यह ऐप्लीकेशन कार्यान्वयन चरण में है।

संपूर्ण सॉल्यूशन में निम्न शामिल हैं:

- ऑनसाइट सेटअप: टावर/पोल, थर्मल, ऑप्टिकल और पीटीजेड कैमरे (PTZ) रेडियो सेटअप, सौर समाधान, Aviation lighting नेटवर्क स्विच आदि।
- सर्वर, Computer Storage पीएसी, आवश्यक सॉफ्टवेयर/ऐप्लीकेशन, नेटवर्क उपकरण, वर्क स्टेशन अलमारियाँ आदि से सुसज्जित स्थानीय मॉड्यूलर और कंटेनरीकृत डाटा केंद्र प्रत्येक साइट पर मॉड्यूलर कंटेनर में स्थापित किए जाते हैं।
- सॉफ्टवेयर/अनुप्रयोग: वीएमएस, सीसीसी, विश्लेषिकी, हेल्पडेस्क आदि।
- विविध घटक: बेस रेडियो स्टेशन, डिजिटल रेडियो हैंडसेट, आरओआईपी (ROIP), यूएवी।
- एकीकरण: एनालिटिक्स एम्बेडेड, हेल्पडेस्क आदि के साथ थर्ड पार्टी ऐप्लीकेशन /सिस्टम।
- फाइबर के माध्यम से स्थानीय नियंत्रण कक्ष और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के बीच कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

WS&APS ऐप्लीकेशन के उद्देश्य:

तकनीक सक्षम WS&APS ऐप्लीकेशन वन विभाग की निगरानी प्रणाली और निगरानी तंत्र में सुधार करेगी–

- बाघ और अन्य वन्यजीव/जानवरों का संरक्षण।
- वन अधिकारियों की निगरानी क्षमता में सुधार करना।
- अवैध शिकार या अन्य वन्यजीव अपराध प्रवण क्षेत्रों की पहचान।
- घुसपैठ, अवैध शिकार और अवैध खनन की जाँच।
- प्रभावी निर्णय लेने के लिए तथ्य आधारित जानकारी।

प्रोजेक्ट स्टेक हॉल्डर्स:

- वन विभाग, राजस्थान सरकार– उपयोगकर्ता विभाग।
- राजकॉम्प इंफो सर्विस लिमिटेड कार्यान्वयन एजेंसी।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार– प्रोजेक्ट ऑनर।

WS&APS ऐप्लीकेशन से उपार्जित लाभ:

- 24x7 निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली की स्थापना।
- बाघ या अन्य पहचान किए गए वन्यजीव प्रजातियों के गतिविधि की स्वचालित निगरानी।

- किसी भी वन्यजीव अपराध/पशु की प्रतिक्रिया/बचाव की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार।
- वन्यजीव/वन अपराध के खिलाफ रोकथाम प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना।
- परिचालन संचालन स्तर की दक्षता और प्रभावी निर्णय लेने के लिए सिस्टम संचालित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट।

WS&APS ऐप्लीकेशन पर कुल ट्रांजेक्शनः

चूंकि यह एक निगरानी समाधान है जहां कोई ट्रांजेक्शन डाटा कैप्चर नहीं किया जाता है। हालांकि, सिस्टम जनरेट अलर्ट या अलार्म (आंदोलन/घुसपैठ) और परिवर्तित घटनाएं इस प्रकार से कैप्चर की गई हैं:

क्र.सं.	प्रकार	संख्या
1.	अलर्ट/अलार्म	86 लाख से अधिक
2.	इंसीडेन्ट्स की सूचना	9009

WS&APS ऐप्लीकेशनसे संबंधित फोटोः

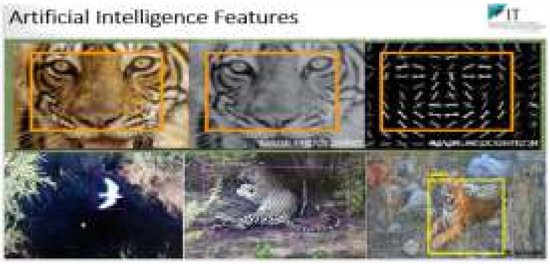

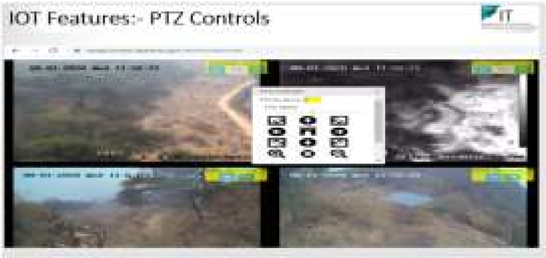

9.2 आई.टी. इनेबलमेन्ट ऑफ सिलिकोसिस पेशेंट रजिस्ट्रेशन एण्ड डिसबर्समेन्ट सिस्टम

सिलिकोसिस मरीजों को सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति के अन्तर्गत जारी किये जाने वाला आर्थिक लाभ पारदर्शी एवं सीधा नगद हस्तान्तरण प्रदान करने के उद्देश्य से इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। इसका उपयोग करते हुये चिकित्सा विभाग, खान विभाग तथा श्रम विभाग सुगमता से सिलिकोसिस प्रकरणों की मेडिकल जॉच, दस्तावेजों का सत्यापन, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र तथा आर्थिक अनुदान जारी करते हैं। जनआधार का उपयोग करते हुये लाभार्थीयों का पंजीकरण, पहचान एवं अन्य सूचनाओं का सत्यापन किया जाता हैं। लगभग 17183 सिलिकोसिस पीड़ितों को अब तक सिलिकोसिस सहायता प्रदान की जा चुकी है।

9.3 ई-बाजार

राजस्थान सरकार की नीति के अनुसरण में ऑनलाइन विपणन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं नागरिक कल्याण हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से एक एकल ई–व्यापार ऑनलाईन स्टोर विकसित किया गया है।

पोर्टल http://ebazaar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रोजेक्ट के उद्देश्य

- इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों एवं हितकारकों के हित में राजस्थान सरकार द्वारा ई–कॉमर्स के माध्यम से विभिन्न उत्पादों को एक ही जगह उपलब्ध करवाना।
- यह ऑनलाईन स्टोर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जोडने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्पाद की उपलब्धता न केवल शहरी अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी करवाने, साथ ही विभिन्न विक्रेता विभागों के विभिन्न उत्पादों को भी सभी तक उपलब्ध करवाना।

वर्तमान में ई-बाजार पर निम्नांकित विक्रेताओ के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध करवाये जा रहे है :-

- Energy Efficiency Services Limited
- Gramya Khadi Handicraft Emporium
- MMTC Limited
- Rajasthali Handicraft Emporium
- Rajasthan Rajya Sahakari Uta Sangh Confed
- Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh Ltd.

- Ajmer Sahakari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd.
- Sri Ganganagar Sahkari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd.
- Village Forest Management Committee, Udaipur
- Department of IT&C – UIDAI Project
- Frontier Markets Pvt. Ltd.
- Jaipur Printers Pvt. Ltd.
- Reliance Retail Limited
- Alankit Limited
- Aksh Optifibre Ltd.
- Start-ups (M/s Amogue, M/s Hexpressions Megatech Private Limited, M/s Kocheta Innovations, M/s Aarnati Innovation (Zepcross), M/s Manpower Staffing & Compliance Management, M/s Spandan Weavers, M/s Swag-I-Noor)

ई-बाजार पोर्टल द्वारा उपार्जित लाभ

- राजस्थान सरकार के विभिन्न विभाग, अर्द्धसरकारी इकाईयां जैसे खादी, हथकर्घा निगम, बुनकर संघ, सहकारी समितियां के उत्पाद इस ऑनलाईन स्टोर पर उपलब्ध करवाये गये हैं।
- स्टोर को, डायनामिक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके विकसित किया गया है।
- सभी प्रकार के वाणिज्यिक लेनदेन/ऑनलाइन भुगतान आदि को 'राजस्थान पेमेंट प्लेफॉर्म' के साथ समाकलित किया गया है। नागरिकों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑनलाइन भुगतान सुविधा के द्वारा 24X7 ऑर्डर करने की सुविधा प्रदान की गयी हैं।

ई-बाजार पोर्टल पर (दिनांक 25.10.2021 तक) किये गये कुल ट्रांजेक्शन

कुल सामान विक्रेता	27
कुल उपलब्ध उत्पाद	65 +
कुल प्राप्त हुए आर्डर	65000 +
बेची गयी कुल उत्पाद मात्रा	15.32 लाख
कुल आर्डर राशि	2067 लाख

9.4 वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)

FMDSS को एक एकल एकीकृत वेब आधारित प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। इस पोर्टल द्वारा नागरिक वन विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

FMDSS पोर्टल में निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित किये गए हैं:—

1. Citizen Service Delivery Module
2. Forest Development Management Module
3. Forest Production Management Module
4. Financial Management Module
5. Forest Protection Management Module
6. Forest Administration and Land Management
7. Comprehensive & Interactive Dashboard
8. Plantation and Monitoring Module
9. Nursery Module
10. NOC Module

FMDSS के विभिन्न मॉड्यूल के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। वृक्षारोपण निगरानी ऐप की मदद से वन भूमि का संरक्षण किया जा रहा है। वन क्षेत्र में अपराध और अतिक्रमण को कम करने के लिए वन संरक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके नागरिक राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान के

लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन वन विभाग के निकट नर्सरी, पौधों की जानकारी प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन बांस, लकड़ी आदि की नीलामी के लिए जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल मुख्यालय, मंडल कार्यालय,रेंज कार्यालय और वनस्थल के भीतर त्वरित सेवा विनिमय और सूचनाऐं प्रदान करता है।

1	कुल ऑनलाइन बुकिंग	13,61,360 (राजस्व –₹ 80 करोड़)
2	एनओसी जारी किए गए	6841 (राजस्व –₹ 44 लाख़)
3	कुल वनोपज नीलामी	540 (राजस्व &₹ 3636 लाख़)

9.5 आरटीआई पोर्टल

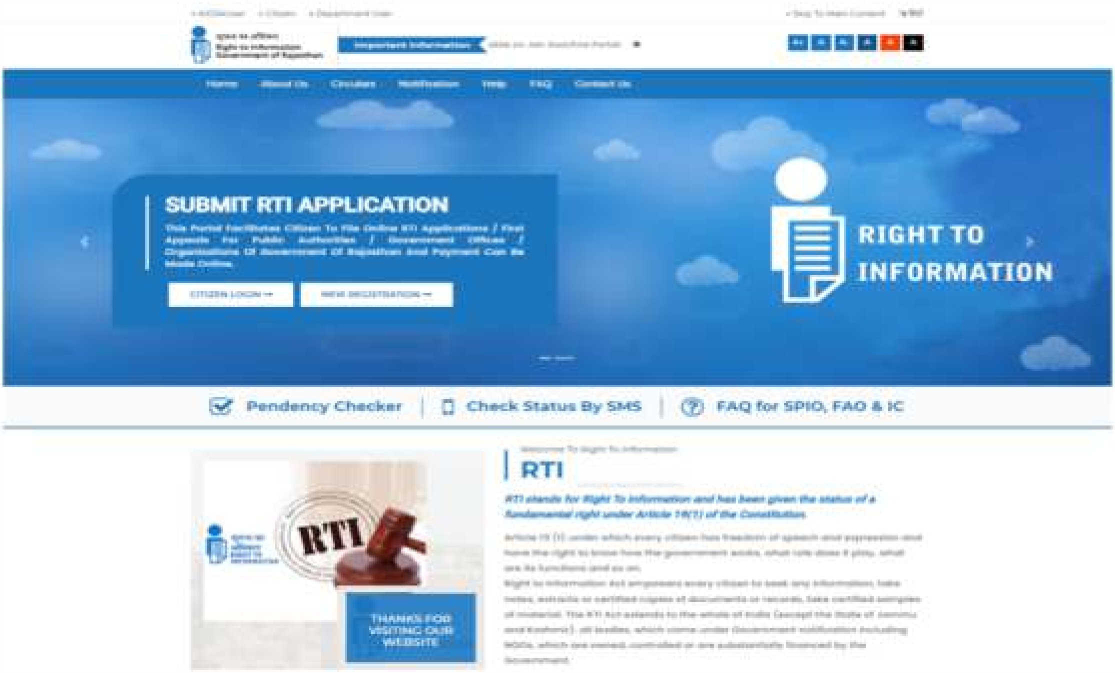

राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ सभी विभागों/बोर्डों/स्वायत शासन संस्थाओं को ऑनलाइन "आरटीआई" पोर्टल पर जोड दिया गया है। "आरटीआई" पोर्टल पर आरटीआई अधिनियम–2005 के तहत अनिवार्य सभी सूचनाऐं एवं सेवाए प्रदान की जाती है।

इसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 01 अक्टूबर 2013 को शुरू किया गया था। वर्तमान में 275 राजकिय विभाग ऑनलाइन "आरटीआई" पोर्टल www.rti.rajasthan.gov.in का उपयोग कर रहे है।

परियोजना का उद्देश्य

"आरटीआई" पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिक द्वारा आरटीआई अधिनियम–2005 के तहत

अनिवार्य सभी सूचनाएं एवं सेवाऐं प्राप्त करने हेतु ई–मित्र कियोस्क या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं आरटीआई आवेदन दाखित करने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। यह पोर्टल विभागीय उपयोगकर्ताओं को आरटीआई आवेदनों और अपीलों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाए रखने और संसाधित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल राज्य में सरकारी पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर सूचना, ट्रैकिंग और रिपोर्ट आवश्यकताओं (एमआईएस) की सेवा उपलब्ध करवाता है। यह पोर्टल सूचनाओं के आदान–प्रदान और प्रसार के लिए राजस्थान सरकार के कार्यालयों और नागरिकों के बीच एक सेतु प्रदान करता है।

परियोजना का लाभ

1. आरटीआई आवेदनों और अपीलों की तय समय सीमा में ट्रैकिंग।
2. पत्र और नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (एसएमएस और ईमेल) से सूचना स्वतः उत्पन्न।
3. सभी विभागों की रिपोर्ट तक सार्वजनिक पहुंच से पारदर्शिता को बढ़ावा।
4. द्विभाषी अनुप्रयोग उपयोग में आसानी।
5. नागरिक के यात्रा के समय और लागत में कमी, समयबद्ध सूचना विवरण, कार्यालयों का शून्य या कम दौरा।
6. नेट बैंकिंग, डेबिट / क्रेडिट कार्ड और ई–मित्र के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना।

दिनांक : 26.10.2021 तक की स्थिति

	कुल प्राप्त	निस्तारित
आर.टी.आई आवेदन	79569	59900
आर.टी.आई अपील	9261	3223

9.6 एस.आई.एम.एस. पोर्टल (SIMS: Sales and Inventory Management System)

राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा राजस्थान राज्य की सभी सहकारी उपभोक्ता संघ एवं क्रय विक्रय सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित सहकारी दवा विक्रय केन्द्रों पर दवा खरीद, इन्वेन्ट्री, विक्रय के प्रबंधन हेतु ऑनलाईन सॉफ्टवेयर SIMS (Sales and Inventory Management System) विकसित किया गया है। यह एक Generic Solution है, इसका उपयोग Sales एवं Purchase किये जाने वाले विभागों द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है।

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित RGHS स्कीम के अन्तर्गत RGHS में पंजीकृत दवा विक्रय केन्द्रों द्वारा सभी RGHS लाभांवितों को कैशलेस दवा SIMS सॉफ्टवेयर के द्वारा दी जा रही है।

परियोजना का उद्देश्य

परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉन्फेड द्वारा

केंद्रीय रूप से खरीदे गए सामानों की प्रबंधन प्रणाली और उन्हें वितरित किये गये गोदामों/दुकानों सहित बिलिंग प्रबंधन और ट्रेजरी/RGHS को जोड़ने की प्रक्रिया को कारगर बनाना है।

परियोजना के लाभ-

1. सभी सहकारी उपभोक्ता संघ एवं क्रय विक्रय सहकारी संस्थाओं की दवा खरीद की सुविधा।
2. सभी विक्रय केन्द्रों की दवाओं के स्टॉक व रियल टाइम में स्टॉक अपडेट की सुविधा।
3. दवाओं के विक्रय की ऑनलाइन सुविधा।

01.12.2021 तक SIMS सॉफ्टवेयर के ट्रांजेक्शन्स का विवरण

1. कुल जारी किये गये खरीद आदेश की संख्या: 10000+
2. विभिन्न प्रकार की बिक्री के माध्यम से जारी किये गये बिलों की कुल संख्या: 4.74 लाख
3. विभिन्न प्रकार की बिक्री के माध्यम से जारी किये गये कुल बिलों की राशि: 6356.48 लाख
4. RGHS द्वारा बिक्री के माध्यम से जारी किये गये कुल बिलों की संख्या: 1.52 लाख
5. RGHS द्वारा बिक्री के माध्यम से जारी किये गये कुल बिलों की राशि: 2612.27 लाख

9.7 अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर

जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों सहित सभी 33 जिलों में अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न घटक सम्मिलित हैं:–

- वीडियो निगरानी तंत्र।
- डायल 100 नियंत्रण कक्ष।
- फोरेंसिक अनुसंधान प्रणाली।
- कुशल यातायात प्रबन्धन तंत्र।
- वाहन ट्रेंकिग तंत्र।
- भौगोलिक सूचना तंत्र।

परियोजनान्तर्गत प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विषय	विवरण
1	कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना	सभी 7 संभागों और 26 जिला मुख्यालयों पर स्थापित कर कार्यशील है। वीडियो निगरानी तंत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों में कुल 6535 लाइव कैमरो एवं 820 ऑफलाईन कैमरों के द्वारा सतत निगरानी डायल 100 नियंत्रण तंत्र सभी जिलों (24X7) कार्यशील

जिले वार स्थापित कैमरों की स्थिति

S.No.	District Cameras	Live Cameras	Offline Cameras	Total
1	अजमेर	346	159	505
2	भीलवाड़ा	200	2	202
3	नागौर	178	8	186
4	टोंक	161	0	161
5	भरतपुर	360	10	370
6	धौलपुर	133	0	133
7	करौली	113	0	113
8	सवाई माधोपुर	136	0	136
9	बीकानेर	524	20	544
10	चूरू	19	31	50
11	हनुमानगढ़	199	6	205
12	श्रीगंगानगर	204	2	206
13	जयपुर	538	10	548
14	अलवर	271	33	304
15	दौसा	285	5	290
16	झुंझुनूं	229	0	229
17	सीकर	274	0	274
18	जोधपुर	616	20	636
19	बाड़मेर	63	19	82
20	जैसलमेर	103	66	169
21	जालौर	132	18	150
22	पाली	64	47	111
23	सिरोही	122	0	122
24	कोटा	359	53	412
25	बांरा	179	35	214
26	बूंदी	15	49	64
27	झालावाड	14	50	64
28	उदयपुर	359	0	359
29	बांसवाड़ा	90	7	97
30	चित्तौड़गढ़	173	1	174
31	डूंगरपुर	12	40	52
32	प्रतापगढ़	12	43	55
33	राजसमंद	105	38	143
	TOTAL	**6588**	**772**	**7360**

9.8 एकीकृत भर्ती पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal)

राजस्थान भर्ती पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी राजस्थान, भारत या विदेश में से भी ऑनलाईन/ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से राज्य स्तरीय सरकारीभर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

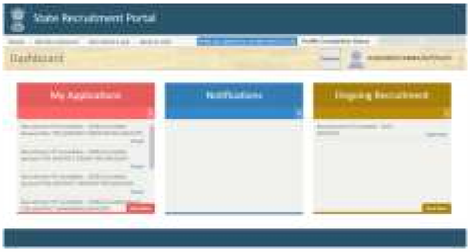

परियोजना का उददेश्य

परियोजना का मुख्य उददेश्य सिंगल पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों को भर्ती कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करने में सुविधा प्रदान करना है। इस पोर्टल से सभी विभाग अपने स्तर पर भर्तियों को प्रकाशित कर सकते हैं तथा भरे गये आवेदन प्रपत्र एवं भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के आंकडे अपने Login में देख सकते हैं। उम्मीद्वार SSO ID के माध्यम से सरकारी भर्ती के लिये आवेदन कर सकता है तथा किसी अन्य दूसरी भर्ती के लिये उसे पुनः प्रोफाइल डाटा भरने की जरूरत नहीं रहती।

परियोजना का लाभ

परियोजना के माध्यम से सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीद्वार घर बैठे ऑनलाईन आवेदन करना, ऑनलाईन परीक्षा शुल्क का भुगतान करना, भरे हुए आवेदन में संशोधन करना एवं परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड, परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करना इत्यादि कार्य कर सकते हैं। उम्मीद्वार को प्रत्येक गतिविधि का नोटिफिकेशन ई–मेल तथा एस.एम.एस. के माध्यम से मोबाईल पर मिल जाता है।

परियोजना की वर्ष वार प्रगति वर्ष 2020–2021 में भर्ती पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित भर्ती की गई–

कुल भर्तियों की संख्या	कुल आवेदन
21	35,33,109

9.9 राजधरा-एकीकृत भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा एकीकृत जी.आई.एस. आधारित सिस्टम स्थापित किया गया है। इस सिस्टम पर विभिन्न विभागों/ उपक्रमों के लिए सूचना एवं विश्लेषण हेतु जी.आई.एस. आधारित वेब व मोबाईल एप्लीकेशन्स को विकसित एवं स्थापित कर इसकी उपलब्धता सम्बंधित

विभागों को प्रदान की गई हैं, ताकि वे इसके द्वारा अपने विभाग की सभी परिसम्पत्तियां व उनमें उपलब्ध सुविधाओं का भू–स्थानिक डाटा जोड़ सकें और उपलब्ध डाटा का संधारण/उन्नयन कर सके। यह डाटा GIS आधारित इंटरफेस पर दर्शाया जाता है जिससे प्रत्येक क्षेत्र में विभागों के assets व उनमें उपलब्ध सुविधाओं का विभागीय/अंतर–विभागीय विश्लेषण किया जा सके।

विभिन्न विभागों/उपक्रमों की परिसंपत्तियों के भू–चिन्हीकरण, विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के भू–चिन्हित सर्वेक्षण तथा क्षेत्रीय स्तर पर दी जाने वाली सर्विस डिलीवरी के निरीक्षण के लिए GIS आधारित मोबाइल ऐप विकसित की गई है जो कि फील्ड कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण व सुविधाजनक साबित हुई हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिविल कार्य परियोजनाओं की योजना बनाने, प्रगति की निगरानी व प्रबंधन के लिए GIS आधारित Workflow Management System (GWMS) विकसित किया गया है। इस सिस्टम द्वारा ऑनलाइन कार्य योजना, BSR व non-BSR आधारित तकमीना (Estimates), Schedule of Power पर आधारित अनुमोदन, e-sign से प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति व कार्यादेश जारी करना, भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों milestones के आधार पर कार्य की विस्तृत योजना बनाना इत्यादि कार्य किये जा सकते हैं। साथ ही डैशबोर्ड पर कार्य की प्रगति का सभी स्तरों पर प्रबन्धन किया जा सकता है। कार्य की प्रगति की GIS आधारित निगरानी करने के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित की गयी है।

सम्पूर्ण राज्य के लिये सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त कर उसको भू संदर्भित किया जा कर विभिन्न विभागों के लिये इमेजरी बेसमैप के रूप में स्थापित किया जा चुका है। इस इमेजरी बेसमैप को आधार मानते हुए महत्वपूर्ण भू–संरचनाओं यथा सड़क व रेल मार्ग, जल–संरचनाएं इत्यादि का GIS प्लेटफॉर्म पर अंकन (digitization) कर सभी विभागों के उपयोग के लिये मैप–सर्विस के रूप में स्थापित किया जा चुका है।

9.10 एकीकृत ई-पंचायत सॉफ्टवेयर

एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर सरकारी कार्यालयों का दौरा किए बिना, वांछित जानकारी नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। इस परियोजना के उद्देश्य से

पंचायती राज संस्थानों की स्वायत्ता, पारदर्शिता व जवावदेही में सुधार लाना एवं सम्पूर्ण खाता प्रबंधन, कार्य प्रबंधन कार्यों व स्कीमों में ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के निष्पादन के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) लाभार्थियों के बैंक खाते में सहायता राशि का ऑनलाइन भुगतान इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

आर.पी.पी. पर पंजीकृत कुल खाता	15456 (ZP- 97, PS- 450, GP- 14904)
ऑनलाइन लेनदेन करने वाले कुल जी.पी.	10942
कुल पंचायत भुगतान (निर्माण/अन्य)	5765.45 Cr.
कुल एसबीएम भुगतान	3016.83 Cr.

भविष्य की योजनाएं

- मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा Geo&Tagging के आधार पर कार्यो की निगरानी।
- भारत सरकार की PRI SUITE एप्लीकेशन्स से एकीकरण।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए एक राज्यव्यापी एकीकृत समाधान के रूप में इसकी स्थापना विभाग के विभिन्न मौजूदा पोर्टलों के साथ सभी संभव एकीकरण।

9.11 राज ई. आर. पी.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों को ऑनलाइन करने हेतु Standard Customizable व Configurable Package (HR, MM, PM, AFM etc- मॉडयूल्स) विकसित।

परियोजना के लाभः-

- विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली में एकरूपता लाना।
- COT'S Products (SAP, Oracle ERP इत्यादि) पर निर्भरता समाप्त करना।
- मितव्ययी समाधान।
- आवश्यकतानुसार बिना लागत के परिवर्तन संभव।

वर्तमान स्थिति

5 उपक्रमों –RISL, Jaipur Metro Rail Corporation, RSIL, RSMM, RFC, कृषि विश्वविद्यालय कोटा तथा 5 विद्युत निगम व उर्जा कंपनियों JVVNL, AVVNL, JdVVNL, RVPNL, RVUNL में क्रियान्वयन।

भविष्य की योजनाएं-

- ई–इनवॉइस प्रक्रिया का कार्यान्वयन।
- विभिन्न संगठनों में परियोजना प्रबंधन के लिए केंद्रीय टीम की स्थापना।
- फेज I और फेज II के दौरान शामिल किये गए संगठनों में "ओ एंड एम" सेवाओं के साथ राजस्थान सरकार के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आवश्यकताओं द्वारा परियोजना के दायरे को बढ़ाना।

9.12 लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम

श्रम विभाग राजस्थान सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। विभाग का मुख्य दायित्व श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और समाज के गरीब, वंचित और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना है। नागरिकों के इस बड़े समूह के लिए आईटी आधारित समाधान का उपयोग आवश्यक है। एलडीएमएस परियोजना को नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग और विभागीय अधिकारियों को विभाग के समग्र कामकाज में पारदर्शिता लाने और नागरिकों के लिए सेवा वितरण तंत्र को स्वचालित करने के उद्देश्य से क्रियन्वित किया गया है।

परियोजना के लाभ

- 10 अधिनियमों के तहत प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण, नवीकरण और संशोधन।
- BOCW श्रम पंजीकरण प्रक्रिया, व श्रम कार्ड जारी किया जाना।
- ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे के माध्यम से पंजीकरण में सरलता और पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड की सुविधा
- BOCW अधिनियम के तहत 8 योजनाओं के लिए आवेदन ।

वर्तमान स्थिति-

अभी तक 29,22,860 श्रमिकों के श्रमिक कार्ड जारी हो चुके हैं

कुल आवेदन प्राप्त हुए	4483743
निष्पादित किये गए आवेदन	2922860
विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदन	2694958

भविष्य की योजनाएं

- लाभार्थियों के लिए एफ.डी. प्रबंधन मॉड्यूल।
- नागरिकता पर लंबित अनुप्रयोगों की अधिसूचना आधारित ट्रैकिंग और निपटान।
- सुधार और औद्योगिक विवाद मॉड्यूल का राज्यव्यापी रोलआउट।
- आवेदन का तकनीकी सुधार।
- परफॉरमेंस और डाटा प्रबंधन।
- रिपोर्ट की गए ईओडीबी संबंधित सभी विशेषताओं की अनुपालन।

9.13 राजफेब (RajFab)

विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन ''राजफैब'' (rajfab.rajasthan.gov.in पर होस्ट किया गया है) को विकसित किया गया है और इनका उपयोग विभागीय गतिविधियों को कम समय में, पारदर्शी, आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है ।

वर्तमान स्थिति

कुल आवेदन प्राप्त	34274
आवेदन निस्तारित	30322
विभाग के पास लंबित	214
आवेदक के पास लंबित	1722

भविष्य की योजनाएं-

- बॉयलर निर्माता मॉड्यूल (मानचित्र स्वीकृति, विनिर्माण स्वीकृति)
- थर्ड पार्टी फैक्ट्री एक्ट मॉड्यूल (नवीनतम राजपत्र अधिसूचना के अनुसार)
- परियोजना का संचालन और रखरखाव।
- रिपोर्ट किए गए सभी ईओडीबी संबंधित विशेषताओं की अनुपालन।

9.14 स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF)

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन वर्कफ़्लो आधारित एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं:

- राज्य बीमा,

- भविष्य निधि,
- राष्ट्रीय पेंशन योजना,
- मेडिक्लेम,
- बल्क भुगतान सुविधा (भुगतान आदेश)

वर्तमान स्थिति

रजिस्टर्ड कर्मचारी	950256
सेवानिवृत्त जीपीएफ खाता कर्मचारी	4816
लाइव स्कीम	4
लाइव एप्लिकेशन्स	12
भुगतान किए गए (सभी योजनाएं)	Rs- 32829 Cr.

भविष्य की योजनाएं-

- प्रोजेक्ट का नया संस्करण लॉन्च कर दिया गया है जो नई तकनीक पर आधारित है जिसमे यूजर इंटरफेस और निष्पादन प्रक्रिया बेहतर है।
- जीआईएफ (सामान्य बीमा मॉड्यूल) मॉड्यूल का विकास जिसमें छात्रों के लिए दुर्घटना बीमा भी शामिल है इत्यादि।
- जीआईएफ और सीपीएफ मॉड्यूल के पूर्ण रोलआउट में विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां शामिल हैं।

9.15 लाईट्स-न्याय विभाग (Litigation Information Tracking & Evaluation System)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सहायता से न्याय विभाग ने सॉफ्टवेयर और उसकी वेबसाइट विकसित की है। (LITES :- Litigation Information Tracking and Evaluation System)

उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम राज्य स्तर पर न्यायिक प्रकरणों का पर्यवेक्षण किया जाता हैं। जिनमे राज्य सरकार एक पक्षकार है जो कि विभिन्न न्यायालयो में लंबित है।

प्रगति:-

वर्तमान में 52 प्रशासनिक विभागों के अधीन 298 विभाग (यूनिट) एवं उक्त विभागों के अधीन कुल 7196 कार्यालयों द्वारा लाइट्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा हैं।

- गत वर्ष 36237 नए न्यायिक प्रकरणों को इन्द्राज किया गया हैं।
- अभी तक 7,202 अधिवक्ताओं को इससे जोड़ा गया हैं।
- वर्तमान में 1,81,624 न्यायिक प्रकरण लंबित हैं।
- राज्य सरकार के पक्ष में 73.72% न्यायिक प्रकरणों के निर्णय पारित हुआ हैं।
- विभिन्न प्रारूपों में कुल 45,47,705 ट्रांजेक्शन्स दर्ज किये गए हैं।
  Link-{https://lites.law.rajasthan.gov.in/}

9.16 राज ई-ज्ञान (Raj e-Gyan)

राज ई–ज्ञान शिक्षकों और छात्रों के लिए एक ऑनलाइन ई–लर्निंग पोर्टल है। इसमें प्री–प्राइमरी से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शैक्षिक डिजिटल सामग्री उपलब्ध है। डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम बनाने के प्रयासों में यह पहला कदम है। डिजिटल इंडिया की अवधारणा को सार्थक करते हुए विद्यालयों में अंतिम (Learning) स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं विद्यार्थियों कोई–कंटेट के रूप में टेक्सट, पॉवर पाइंट, एनिमेशन, ऑडियो–विडियों, ई–पुस्तक आदि प्रारूपों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों व अभिभावकों हेतु उपलब्ध करवाई जा रही है।

इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार, राजस्थान के छात्रों को डिजिटल सामग्री के लिए आसान, सर्वव्यापी, अद्यतन (updated) और व्यापक भंडार प्रदान करना है।

वर्तमान स्थिति

- राज–ई–ज्ञान 2.0, नवीनतम तकनीक के माध्यम से राज–ई–ज्ञान को नए स्तर पर ले जाने और मौजूदा एप्लीकेशन को नए वातावरण में अधिक प्रासंगिक बनाने की योजना बनाई गई है।
- राज–ई–ज्ञान पोर्टल लाइव है और पहली से 12वीं तक की पुस्तकों और e-kaksha वीडियो को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है ताकि छात्रों द्वारा आसानी से डाउनलोड किया जा सके।
- राज–ई–ज्ञान ऐप्लीकेशन के लिए इंटरएक्टिव हिंदी डिजिटल सामग्री बनाना।
- पहुँच बढ़ाने के लिए, DoIT&C में उपलब्ध विभिन्न तौर–तरीकों का लाभ उठाया जा सकता है। ग्रामीण छात्रों के लाभ के लिए संपूर्ण ई–कक्षा वीडियो ई–ज्ञान पोर्टल, जनसूचना, ईमित्र – प्लस मशीनों पर अपलोड किए जा रहे हैं।

  वेबसाइट–https://egyan.rajasthan.gov.in

9.17 एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल

राजस्थान राज्य के सभी महाविद्यालयो और विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।यह पोर्टल राज्य स्तर पर निर्णय लेने की प्रणाली के लिए डाटा प्रदान करता

है और छात्रों को उच्च शिक्षा में उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। कुछ मॉड्यूल निम्नलिखित हैं–

- प्रवेश, मेरिट जेनरेशन, सीट आवंटन, ऑनलाइन शुल्क भुगतान।
- ऑनलाइन संबद्धता (Affiliation) और कॉलेजों की एन.ओ.सी (NOC)।
- परीक्षा आवेदन, प्रवेश पत्र, परिणाम (Result)।
- महाविद्यालयो की आधारभूत संरचना (infrastructure), छात्र और संकायों की उपस्थिति, छात्रों और शिक्षकों के प्रोफाइल प्रबंधन, प्लेसमेंट।

प्रगति-

- 350+ कॉलेजों में से20 कॉलेज प्रबंधन लागू किए गए हैं।
- कॉलेज मे 4000 शिक्षक कार्यरत हैं।
- RSOS & BTER की पूरी ERP लागू की जा चुकी हैं।
- एक विश्वविद्यालय को संबद्धता (Affiliation) प्रबंधन लागू करने के लिए जोड़ा गया है।
- दो विभागों को ऑनलाइन प्रबंधन के लिए जोड़ा गया।
- पोर्टल के माध्यम से 6 लाख छात्रों के लिए प्रवेश का प्रबंधन किया गया।
- जीएनएम, पैरामेडीकल मे ऑनलाइन प्रवेश लागू किए गए।
- प्रवेश मॉड्यूल को 1200 निजी आईटीआई तक विस्तारित किया गया।

9.18 राज-लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (Raj-LMS)

Raj-LMS राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के लिए Bi-Lingual (हिन्दी एवं अग्रेजी) ऑनलाईन प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन पोर्टल है। पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री, ऑनलाईन एवं क्लास रूम प्रशिक्षण, कर्मचारियों/विद्यार्थी/नागरिको के लिए ऑनलाईन मूल्यांकन की व्यवस्था है, साथ ही पोर्टल पर प्रशिक्षु की प्रगति टेकिंग कौशल दक्षता विश्लेषण एवं प्रशिक्षण के लिए अनुशंषा की सुविधा उपलब्ध है। विभाग ऐप्लीकेशन और सामग्री निर्माण उपकरण का उपयोग करके अपनी सामग्री (content) बना सकते हैं।

वर्तमान स्थिति

- लगभग 1,25,000 उपयोगकर्ताओं वाले एलएमएस का उपयोग करने वाले 6 संबद्ध विभाग हैं–राजस्थान पुलिस, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, एमित्रा, डीओपी, प्रशिक्षण निदेशालय और कॉलेज शिक्षा विभाग।
- राजस्थान पुलिस को आंतरिक प्रचार–प्रसार के लिए दिया गया डेमो और प्रशिक्षण, iStart

(कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों का नामांकन), राजस्थान चिकित्सा परिषद् और वन प्रशिक्षण संस्थान।

- क्राउड सोर्सिंग मोबाइल ऐप तैयार और लाइव। कॉलेज शिक्षा विभाग को प्रशिक्षण दिया जाएगा। URL: https://rajlms-rajasthan-gov-in

9.19 राजस्थान जन-आधार योजना

विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्‌देश्य से एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान द्वारा बजट भाषण 2018–19 में राजस्थान जन–आधार योजना लाए जाने की घोषणा की गई थी। आयोजना विभाग की इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आयोजना विभाग द्वारा राजकॉम्प को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। जन–आधार योजना के तहत जन–आधार रेजिडेन्टस् (JRDR) का सफल प्रबन्धन जिसमें राज्य के 1.85 करोड निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डाटाबेस तैयार किया गया है एवं राज्य के एकीकृत पारिवारिक डाटाबेस (JRDR) के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभो एवं सेवाओं की प्रदायगी में समस्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तन्त्र का संचालन किया जायेगा।

जन आधार योजना से अभी तक 85 योजनाओं एवं 29 सेवाओं को एकीकृत किया जा चुका है जिनमें इन योजनाओं एवं सेवाओं के लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान किये जा रहे हैं।

माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान द्वारा बजट भाषण 2021–22 में बिंदु संख्या 238 एवं 249 में की गयी बजट घोषणाओं की अनुपालना में आमजन सरलता से योजनाओ के लाभ देने के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य जन आधार के माध्यम से करते हुए 2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृतियों व भुगतान प्रक्रियाओं का सरलीकरण व ऑनलाइन कर दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए Deemed तथा Auto Approval का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

बजट घोषणा 238– विभिन्न राजकीय योजनाओं को ऑनलाइन करने में दस्तावेजों व भौतिक सत्यापन के माध्यम से पात्रता का प्रमाणीकरण एक बड़ी बाधा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि समस्त योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करते हुए 2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर पूर्ण कर लिया जायेगा।

बजट घोषणा249– विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों व

भुगतान प्रक्रियाओं में जटिलता होने के कारण आमजन, जनप्रतिनिधिगण तथा कर्मचारी–अधिकारियों को देय लाभ समय से प्राप्त नहीं हो पाते। अतः इस प्रक्रिया का सरलीकरण व ऑनलाइन कर दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए Deemed तथा Auto Approval जैसे प्रावधान किये जायेंगे।

9.20 राजस्थान ई-आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम (ReAMS)

ReAMS राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहित कर सरकारी विभागों तथा प्रदेश की जनता को डिजिटल दस्तावेजों को सुलभ ऑनलाईन उपलब्ध करानें वाला पोर्टल है। इस पोर्टल से राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से संबधित असाधारण गजट अधिसूचनाओं का 1 अप्रैल 2019 से ऑनलाईन प्रकाशन किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के अब तक 19 लाख डिजिटल दस्तावेजों का संग्रहण तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की 3245 असाधारण गजट अधिसूचनाओं का ऑनलाईन प्रकाशन किया जा चुका है।

परियोजना का उद्देश्य

ReAMS परियोजना का उद्देश्य राजस्थान सरकार के सभी विभागों की महत्वपूर्ण पत्रावलियों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियों को विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों को 24x7 ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। साथ ही, विभागों के मूल दस्तावेजों से संबंधित स्थान, समय तथा धन की बचत कर आमजन को भी दस्तावेजों की ऑनलाइन उपलब्धता घर बैठे सुनिश्चित करवाना तथा अनुमोदन युक्त दस्तावेज प्रकाशन ऐप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेजों का प्रकाशन करना भी है।

परियोजना का लाभ

ReAMS परियोजना के निम्नलिखित लाभ हैः–

- सरकारी विभागों के डिजिटाइज दस्तावेजों का ऑनलाइन संग्रहण कर 24X7 ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सरकारी विभागों के मूल दस्तावजों से संबंधित स्थान, समय तथा धन की आवश्यकताओं में बचत करना।
- डिजिटल प्रतियों के माध्यम से मूल दस्तावेजों का संरक्षण कर लंबे समय तक सुरक्षित रखना।
- डिजिटाइज दस्तावेजों की आमजन को घर बैठे सुगम उपलब्धता।
- ऐतिहासिक दस्तावेजों की इतिहासकारों तथा शोधार्थियों को ऑनलाइन उपलब्धता।
- ऑनलाइन दस्तावेजों का प्रकाशन करना।

परियोजना की वर्षवार प्रगति :-

वर्ष	संग्रहित डिजिटाइज दस्तावेजों की संख्या	असाधारण गजट अधिसूचनाओं की संख्या	लाभान्वित विभागों के नाम
2017	2110	0	नगर निगम, अजमेर
2018	493884	0	देवस्थान विभाग, उदयपुर
2019	878594	1250	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
2020	201940	1196	पंचीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
2021 (माह सितम्बर तक)	329909	799	विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर सूचना एवं जन संपर्क विभाग, जयपुर मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर
कुल दस्तावेजों की संख्या	**1906437**	**3245**	

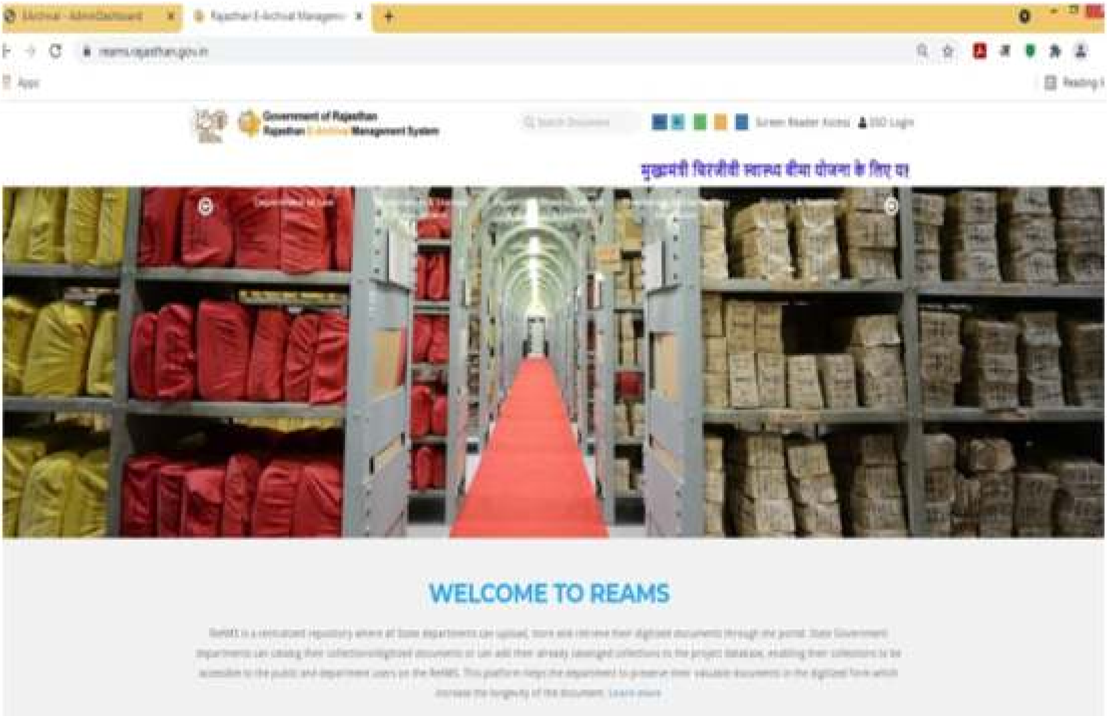

9.21 आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS)

DoIT&C/RISL द्वारा विकसित आपदा प्रबंधन एप्लीकेशन में आपदा चरणों के दौरान, पूर्व और बाद में दी जाने वाली सहायता गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला के परिचालन प्रक्रिया को शामिल किया गया है, ताकि जीवन/संपत्ति के नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके और प्रभावित नागरिकों को आवश्यक राहत और पुनर्वास प्रदान किया जा सके। ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ आदि आपदाओं के मामले में किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी डी.एम.आई.एस. पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। साथ ही, नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न अन्य ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किए गए हैं जैसे– मवेशी शिविर, प्रभावित क्षेत्रों की साफ–सफाई, ग्रेच्युटीस रिलीफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डैमेज्ड हाउसेस और हैंडीक्राफ्ट/हस्तलिखित सहायता कारीगर/फिशरी।

अब तक 2295 करोड़ की सब्सिडी 34 लाख किसानों को बाढ़ (2000 किसानों/20 करोड़), कीट हमला (2000 किसानों/20 करोड़), हेलस्टॉर्म (2000 किसानों/20 करोड़) और सूखे (2000 किसानों/20 करोड़) के लिए वितरित की गई है।

सहायता/सब्सिडी से संबंधित मॉड्यूल के अलावा विभिन्न अन्य मॉड्यूल जैसे आपातकालीन खरीद, इन्वेंटरी प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, फंड प्रबंधन, जन संचार को एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के भाग के रूप में विकसित किया गया है जो निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

DMIS ऐप्लीकेशन ने IFMS सिस्टम के माध्यम से DBT (डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर) की एक पारदर्शी और पेपरलेस प्रक्रिया बनाई है। ऐप्लीकेशन ने सब्सिडी इस ऐप्लीकेशन वितरण के समय को कम करने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने में मदद की है जिससे सरकारी खजाने को भारी बचत हुई है।

9.22 राज किसान साथी

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने 2019 में अपने बजट भाषण में किसानों के लिए एकल खिड़की ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल के कार्यान्वयन की घोषणा की, जो कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, विपणन आदि जैसे सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विस्तारित किसान संबंधी सभी सेवाएं प्रदान करेगा।

कृषि विकास के लिए मौजूदा बाधाओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए, DoIT&C/RISL राजकिसान साथी के रूप में एंड–टू–एंड आईटी समाधान को लागू करने की प्रक्रिया में है। राजकिसान साथी भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित होगा और एक अत्याधुनिक समाधान होगा जो कृषि विभाग की सेवा वितरण से लेकर दीर्घकालिक नीति स्तरीय

योजना तक की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। परियोजना के अंतर्गत G2C,G2B और G2G से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को विकसित किया जाना है। राजकिसान साथी परियोजना में किसान डाटाबैंक (किसान की पहचान, भूमि और फसल की जानकारी), कृषि इनपुट प्रबंधन प्रणाली (मिट्टी, बीज, उर्वरक, सिंचाई का बुनियादी ढांचा, कृषि मशीनरी), कृषि उत्पादन प्रबंधन प्रणाली (फसल उत्पादन, बाजार/मंडी, भंडारण और परिवहन), कृषि सुविधा (परीक्षण और क्यूसी, कृषि–प्रसंस्करण, सूची और डीलर सूचना), ई–मार्केट प्लेस– ऑर्गेनिक (ऑनलाइन मार्केट प्लेस), सब्सिडी/स्कीम मॉनिटरिंग–डीबीटी आदि शामिल हैं। उपरोक्त गतिविधियों के अलावा, प्रस्तावित समाधान में जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (कृषि सलाहकार, जीआईएस आधारित मॉडलिंग), सूचना और चेतावनी (मौसम रिपोर्टिंग, सूचना प्रबंधन और विस्तार), डाटा विश्लेषण (प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुमान और पूर्वानुमान) भी शामिल होंगे।

परियोजना के लाभ-

- जन–आधार डाटाबेस का उपयोग करके आवेदन प्रपत्रों का सरलीकरण।
- सब्सिडी वितरण के प्रत्येक चरण में किसान को एसएमएस।
- आवेदन वास्तविक समय में कृषि कार्यालय तक पहुंचता है।
- पात्रता की जानकारी, आवश्यक दस्तावेज आवेदन के समय उपलब्ध होते हैं।
- कृषि, मौसम विज्ञान और तकनीकी जानकारी तक समय पर पहुंच।
- फसल उत्पादन में निर्णय लेने के लिए पूर्वानुमान सेवाओं की स्थापना।
- कृषि आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली और मौसम सूचना प्रणाली।
- एक संपूर्ण सूचना प्रणाली जिसके माध्यम से किसानों को बाजार की उपलब्धता, आदानों की कीमतों, मौसम की जानकारी, मिट्टी की जानकारी और उर्वरक, बीज आदि के लिए सलाह जैसी विभिन्न सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
- किसानों को सब्सिडी संबंधी सेवाओं की सुगमता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इसकी सुपुर्दगी।

विभाग के लिए लाभ

- सभी कृषि संसाधनों से संबंधित डाटा का एक केंद्रीकृत डाटाबेस।
- कृषि संबंधी नियोजन गतिविधियों को संभालने में लगने वाले समय में कमी।
- सरकारी अधिकारियों और एमआईएस रिपोर्ट के लिए एकीकृत बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड।

- संपूर्ण सेवा वितरण प्रणाली का बेहतर मूल्यांकन, विश्लेषण और सत्यापन।
- जीआईएस और इमेज प्रोसेसिंग के उपयोग से कृषि संबंधी भविष्यवाणी और मॉडलिंग क्षेत्र।
- योजनाओं की स्थिति और उसकी प्रगति के बारे में ऑनलाइन जानकारी।
- सब्सिडी वितरण के लिए कृषि कार्यालयों के विभिन्न स्तरों के बीच घनिष्ठ संपर्क
- कार्य दोहराव में कमी।
- वेब—ऐप्लीकेशन, पेमेंट गेटवे और एसएमएस के माध्यम से कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण।
- सभी हितधारकों (किसान, कर्मचारी, कृषि—व्यवसाय समुदाय आदि) तक विस्तारित पहुंच।

परियोजना की वर्षवार प्रगति

पांच (5) वर्षों में पूरे किए जाने वाले कुल कार्य/गतिविधियां		144
वर्ष	नियोजित मॉड्यूल की संख्या	पूर्ण मॉड्यूल की संख्य
2020-21	47	47
2021-22	51	15

9-

9.23 सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS)

सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम (सी.एच.एम.एस.) एक ऑनलाइन आईटी आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसमें राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारी, अन्य राज्य/केंद्र, राज्य अतिथि, विदेशी अतिथि, जन प्रतिनिधि, स्थानांतरण, सेवानिवृत्त अधिकारी, निजी और सार्वजनिक उपक्रम को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने 27 जुलाई 2018 को बीकानेर डिजीफेस्ट 2018 में इस ऐप्लीकेशन को लॉन्च किया था। जी.ए.डी. विभाग के लगभग 70 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। ऐप्लीकेशन अभी रखरखाव चरण में है।

परियोजना का उद्देश्य निम्न है-

- राजस्थान के सभी सर्किट हाउस, दिल्ली में राजस्थान हाउस और मुंबई में गेस्ट हाउस में कमरे के आरक्षण के लिए ऑनलाइन सेवा अनुरोध ।
- सर्किट हाउस मैनेजर द्वारा कमरे के आरक्षण को ऑनलाइन स्वीकार या अस्वीकार करना।
- यात्रा कार्यक्रम का अनुकूलन ।
- खपत एवं सेवाओं के आधार पर मेहमानों के लिए ऑनलाइन बिल जारी करना।
- रसोई, स्टोर और हाउसकीपिंग प्रबंधन को ऑनलाइन करना ।
- वार्षिक, मासिक, दैनिक रूम ओक्यूपेंसी एनालिटिक्स डैशबोर्ड विकसित किया गया है।
- वास्तविक समय पर प्रभावी निगरानी और प्रशासन के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली ।

आज तक, 35 सर्किट हाउस स्वचालित हो चुके हैं। कुल कमरे बुकिंग अनुरोध (ट्रांसजेक्सन की संख्या) 44773 हैं। इसमें से 27375 अनुरोधों को इस पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक चेक–आउट किया गया है और 11005 अनुरोधों को रद्द किया गया है।

शीर्ष 5 सर्किट हाउस का विवरण निम्नानुसार है–

Circuit House Name	Total Room Request	Total Check-out
राजस्थान हाउस, नई दिल्ली	15299	12240
राजस्थान भवन, वाशी, मुंबई	1704	1488
जयपुर सर्किट हाउस	13328	10552
अलवर सर्किट हाउस	1309	764
कोटा सर्किट हाउस	1098	516

9.24 सोशल मीडिया

राजस्थान के नागरिकों के साथ अत्यधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से त्वरित और सीधा संवाद करने के लिए "सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म मेनेजमेंट" नामक एक लोकप्रिय परियोजना बनाई गई है। यह प्लेटफॉर्म जनता के साथ सरल और प्रभावी संपर्क बनाने के साथ नेटवर्किंग और जुड़ाव बनाए रखने में भी मदद करता है।

परियोजना का उद्देश्य:

1. नागरिकों के लिए व्यापक डिजिटल पहुँच रणनीति का निर्माण।
2. नये ब्लॉग, वेबसाइट, ऑर्टिकल के माध्यम से आमजन को सूचना का आदान–प्रदान।
3. मास मीडिया नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से निगरानी और मीडिया ट्रैकिंग करना।
4. व्यावसायिक सूचनात्मक वीडियो का निर्माण।
5. विभिन्न सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव विडियो वेब–कास्टिंग।
6. कोरोना महामारी के प्रति आमजन के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई तरह के विडियो का निर्माण।
7. साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से डाटा की सुरक्षा।

परियोजना का लाभ:

वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न हेन्डल्स (GoR, CMO, DoIT&C, RajSampark, eMitra, iStart, RajPoliceHelp) पर निरंतर मीडिया सामग्री का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है और फोलॉअर्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

इन प्लेटफॉर्मस के माध्यम सें विभिन्न सूचनात्मक इमेज, विडियो, स्टोरीज पोस्ट की जाती हैं, जो रिट्वीट एवं रिशेयर भी की जाती हैं। प्रदेश के लोगों को कोविड–19 के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान भी संचालित हैं जैसे– #सावधानी_ही_सुरक्षा_है, #राजस्थान_सतर्क_है, एवं अन्य अभियान #घर_घर_औषधि_योजना आदि।

परियोजना की वर्षवार प्रगति:

- 71 Handles of CMO, GoR, DoIT&C, eMitra, Rajsampark, iStart, Rajasthan Police Department has been created on different Social Media Platforms i.e Facebook, Twitter, Instagram, YouTube & WhatsApp
- Growth Rate for Priority Handles CMO & GoR is approx 215.02% &

202.38% on twitter , 46.6% & 54.62% on facebook and 76.28% & 120.22% on Instagram respectively (till 18-06-2021)

- Campaigns : #जागरूक_राजस्थान, #कोरोना_से_मिलकर_लड़ें, #वैक्सीन_भी_सावधानी_भी, #आमजन_का_सहयोग, #निरोगी_राजस्थान, #राजस्थान_सतर्क_है, #NoMaskNoMovement, # महामारी_रेड_अलर्ट_जन_अनुशासन_पखवाड़ा, #वैक्सीन_भी_सावधानी_भी, etc.
- Produced 40+ campaigns, 9000+ creative, 500+ videos since April 2020
- 100+ Live broadcast has been done since April 2020
- Handling 2 Chatbots (https://m.me/RajGovOfficial) jioChat (jiochat.com/channel/600000000916/1)
- Handled 18000+ queries on facebook messenger
- A blog website (http://rajasthanrevealed.com/)
- 20+ Professional Videos has been created during 2020-21.
- @RajPoliceHelpDesk is established on twitter from 18 December 2020 and during 2020-21 more than 6000+ queries has been tagged.

9.25 चीफ मिनिस्टर इन्फोंमेशन सिस्टम (सीएमआईएस)

CMIS राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय की आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए एक वेब–आधारित अनुप्रयोग है। सीएमआईएस पोर्टल राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं और प्रमुख परियोजनाओं के सभी निर्णयों/दिशा–निर्देशों की समग्र प्रगति/स्थिति की ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

CMIS के मॉड्युल निम्नानुसार है :-

फाइल ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम
रिक्रूटमेंट स्टेटस
बजट घोषणा
सीएम घोषणा
जन घोषणा पत्र
सीएम दिशा–निर्देश
एक्शन प्लान 100 डेज
महत्वपूर्ण जिले
सीएम वीसी
ग्रिवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम
वीआईपी लेटर मॉनिटरिंग प्रणाली
न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम
इश्यू (पीआर) मॉनिटरिंग
केबिनेट निर्णय
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम
अवार्ड एवं प्रशंसा
न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम

9.26 जनकल्याण पोर्टल

जनकल्याण पोर्टल राजस्थान सरकार की एक पहल है, जो सरकार में सुशासन और पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी सरकारी सूचनाओं को एक ही मंच पर लाने के लिए काम कर रही है। जनकल्याण परियोजनाओं, प्रमुख कार्यों, सरकारी दस्तावेजों, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं/ सेवाओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल है।

आमजन के लिये सभी सूचनाओं को 9 स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है जो नीचे दिए गए हैं :–

राजकीय दस्तावेज

- अधिनियम एवं नियम
- परिपत्र
- कोविड–19 आदेश
- अधिसूचना
- आदेश
- नीति एवं दिशा–निर्देश
- नागरिक घोषणा पत्र

सुशासन

- कैबिनेट निर्णय
- माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रमों के दौरान घोषणाएं
- बजट घोषणाएं
- जन घोषणा पत्र
- माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र

जन जागरूकता

- विज्ञापन
- पोस्टर
- ऑडियो
- वीडियो

जनकल्याणकारी योजनाएं एवं सेवाएं

- योजनाएं
- सेवाएं

नवाचार एवं उपलब्धियां

- राजकीय नवाचार
- उपलब्धियां
- पुरस्कार

विकास कार्य

- परियोजनाएं

प्रोग्राम कवरेज

- वीडियो
- संबोधन

प्रकाशन

- मीडिया कवरेज
- विभागीय प्रकाशन
- विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन

ई-कनेक्शन

- वेबसाइट
- मोबाइल एप

9.27 ई-लाइब्रेरी

ई–लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ने कॉलेज की लाइब्रेरी प्रकिया को कम्प्यूटरीकृत किया है। ऐप्लीकेशन को लाइब्रेरियन से इनपुट के साथ विकसित किया गया है ताकि इसे अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाया जा सके।

सभी पुस्तकालय संचालन, जैसे – पुस्तक क्रय, जमा, अधिग्रहण, परिग्रहण और स्टॉक सत्यापन स्वचालित किया गया है।

सरकारी कॉलेज के पुस्तकालयों में संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह ऐप्लीकेशन सीमित संसाधनों के साथ दैनिक संचालन का प्रबंधन करने के लिए लाइब्रेरियन के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यही आवेदन विभागीय पुस्तकालयों में भी उपयोग लिया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएं

- सभी पुस्तकालय प्रबंधन कार्यों का स्वचालन, जिसमें पुस्तक जारी करना, जमा, सदस्य जोडना आदि शामिल हैं।
- संबंधित पुस्तकालयों की वास्तविक समय स्थिति देने के लिए डैशबोर्ड की रिपोर्ट।
- कॉलेज की लाइब्रेरी जरूरतों के लिए उपयोगी।
- भौतिक पुस्तकों के डाटा का पूर्ण डाटा प्रविष्टि।
- आवेदन में छात्रों के डाटा के प्राप्त करने के लिए DCE प्रवेश मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ है।

वर्तमान स्थिति

33 शासकीय महाविद्यालय पुस्तकालय, 5 शासकीय विभाग (राजभवन, राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी, बीकानेर, संगीत संस्थान, टीआरआई एवं वन) अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर को अनुकूलित कर उपयोग कर रहे हैं। 19,85,444 पुस्तकों की डाटा प्रविष्टि का कार्य पूरा कर लिया गया है। 2,66,000 सदस्यों का डाटा आवेदन में अपडेट किया जा चुका है। सॉफ्टवेयर मुफ्त प्रदान किया जाता है, लेकिन अनुकूलन, एफएमएस और डाटा प्रविष्टि के लिए शुल्क संगठन द्वारा वहन किया जाता है।

URL: https://dce.rajasthan.gov.in/elib

9.28 जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System)

जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System) राज्य के सभी प्रकार के न्यायालयों में विभिन्न अदालती कार्यों के मानक कार्यात्मकता वाला एक जेनेरिक प्लेटफार्म है। इस प्रणाली को समग्र न्यायालय प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जहां एक अपीलकर्ता अपने मामले को वास्तविक समय के आधार पर तकनीकी मदद से प्रतिवादी के पूरे विवरण के साथ देख सकता है। सिस्टम कुल मामलों, लंबित मामलों, पूर्ण मामलों के संदर्भ में आंकडे प्रदान करता है, ताकि अदालतों के मामलों को निपटाने के लिए विश्लेषण कर सके।

यह न्यायालयों के स्वचालन में न्यूनतम लीड–टाइम और अदालती कार्यवाही के मानकीकरण में सक्षम करता है। जी.सी.एम.एस.ऐप्लीकेशन (Generalized Court Management System) को न्यायालय के सप्रबंधन चक्र को सम्मलित करने वाले वेब–आधारित ऐप्लीकेशन के रूप में विकसित किया गया है जिसे किसी भी प्रकार के न्यायिक संगठन के कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। विभिन्न न्यायालयों (राजस्व, सिविल आदि) की प्रक्रिया जैसे पंजीकरण, नोटिस/सम्मन, कॉजलिस्ट, फीडबैक, अंतिम निर्णय और कार्यान्वयन, कैविट्स, फाइल प्रबंधन, संदेश और विभिन्न कार्यों के अनुमोदन और संचालन के लिए उपयोग में लिया जाता है।

विभिन्न न्यायालयों के डैशबोर्ड और संक्षिप्त ऑकडों का स्क्रीनशॉट निम्नलिखित हैः–

1. Board of Revenue Ajmer:

A) Registration
- a) Case Registration
- b) Caveat Entry
- c) Priority Update
- d) Application

B) Feedback
- a) Case Feedback
- b) Cause List Feedback

C) Cause List
- a) Cause List Configrator
- b) Cause List Process
- c) Cause List Delete
- d) Circuit Bench Cause List

D) Additional Information
- a) Add Lower Courts

D) Process
- a) Revenue Board Talbi
- b) Notice Process
- c) Generate Notice
- d) Notice Status

H) Decision
- a) Case Decision
- b) Application Disposal

I) Display

a) Member Present In Board
b) Member Bench Allocation

J) Sarbarak
K) Lower Court Data Search
L) Case Reopen
M) Bulk Sarbarak

- कुल मामलेः 1,67,972
- कुल फैसलेः 1,03,596
- कुल लंबित मामलेः 64,376

9.29 राजकौशल

रोजगार विभाग (DoE) ने राजस्थान में आजीविका के अवसरों को मजबूत करने और राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए, "राजकौशल–जॉब मार्केटप्लेस" नामक एक नई योजना लागू की है । प्रस्तावित आईटी प्लेटफॉर्म बेरोजगार कुशल युवाओं को सशक्त करेगा, जो उद्योग और सेवा उपभोक्ताओं को उनकी जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। यह प्लेटफार्म जनशक्ति डाटाबेस के रूप में सूचना के एक अद्वितीय स्रोत के रूप में काम करेगा, विभिन्न अन्य डाटा स्रोतों और सेवा प्रदाताओं की जानकारी को एकीकृत करेगा।

वर्तमान स्थिति

कुल उपलब्ध श्रम / जन–शक्ति	5255282
कुल उपलब्ध नियोक्ता	1110356
कुल उपलब्ध नौकरियां	4758
प्रोफ़ाइल अपडेट (स्वयं के द्वारा)	32079
प्रोफ़ाइल अपडेट (प्रशासन द्वारा)	173389

भविष्य की योजनाएं-

- Google Play Store और iOS पर मोबाइल ऐप्लीकेशन का रोलआउट।
- प्लेटफ़ॉर्म पर एजेंसी / एजेंट मॉड्यूल का रोलआउट।
- अन्य संबंधित मॉड्यूल जैसे RSLDC, EEMS, LDMS आदि के साथ रियलटाईम एकीकरण।
- नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के लिए निकटतम उपलब्ध संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए जीआईएस घटक।

9.30 ई.ई.एम.एस. (Employment Exchange Management System)

रोजगार विभाग, GoR ने EEMS को राज्य भर में सभी उपयोगकर्ताओं (नागरिकों, व्यवसाय समुदाय और सरकार) द्वारा उपयोग करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब आधारित ऐप्लीकेशन के रूप में लागू किया है। आंतरिक उपयोगकर्ता एंटरप्राइज़ वाइड सिक्योर इंटरफ़ेस/पोर्टल के माध्यम से ईईएमएस के पोर्टल और ऐप्लीकेशन मॉड्यूल तक पहुंच सकते हैं। नौकरी चाहने वालों, व्यवसाय समुदाय और अन्य पंजीकृत सार्वजनिक उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल को उपयोग सकते हैं। EEMS परियोजना के माध्यम से DoE का उद्देश्य राज्य में राजस्थान राज्य सरकार और रोजगार आदान–प्रदान का समर्थन करना है, ताकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बेहतर ढंग से नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए ICT का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

वर्तमान स्थिति

कुल पंजीकृत उम्मीद्वार	1689589
कुल उम्मीदवार जो भत्ते के लिए आवेदन करते हैं	851714
अभ्यर्थीयों को अब तक की कुल राशि का भुगतान	6080394528
इस वित्तीय वर्ष पर अभ्यर्थी को देय कुल राशि (01–04–2020 से 05–11–2020)	3475256123

भविष्य की योजनाएं

- अभ्यर्थियों का पंजीकरण/नवीनीकरण/प्रोफाइल अपडेशन।
- पहचान कार्ड की स्वीकृति और जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ।
- बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ।
- बेरोजगारी भत्ते का भुगतान।
- आवश्यकता के अनुसार रिपोर्ट।
- NCS पोर्टल पर डाटा एक्सपोर्ट।

9.31 Forest Rights Act – FRA

राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नियमों के तहत वन भूमि दावों/अपिलों के निस्तारण करने एवं PESA अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को स्वशासन का केन्द्र बनाकर आदिवासी आबादी को शोषण से बचाने एवं ग्राम सभाओं

को सशक्त बनाने के लिए एफ.आर.ए. पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका url www.fra.rajasthan.gov.in हैं । एफ.आर.ए. पोर्टल 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस 2021 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।

वन अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों से विभिन्न स्तर तक एफआरए आवेदन में संचार अंतराल,देरी से बचने और भारी मात्रा में कागजी काम को समाप्त करने एवं नागरिको द्वारा दाखिल वन भूमि दावों/अपिलों को वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नियमों के तहत विभाग स्तर पर की गई कार्यवाही में ऑटोमेशन एवं पारदर्शिता उपलब्ध करवाना हैं।

पेसा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों और ग्राम सभाओं की ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दिए जाने एवं स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए ग्राम सभाओं एवं ग्राम पंचायतों के कार्यों को इस पोर्टल के माध्यम से सम्पादित करवाने की सुविधा शुरू की जानी है।

परियोजना का लाभ

1. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं के लिए एकल एकीकृत मंच।
2. एक पदानुक्रम से दूसरे पदानुक्रम में सूचना का निर्बाध प्रवाह।
3. ऑनलाइन वन भूमि दावों का कार्यप्रवाह प्रबंधन।
4. ऑनलाइन दावे की स्थिति को ट्रेक करने के लिए नागरिकों तक पहुंच प्रदान करके वाली प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

सांख्यिकी -

9.32 यू.आई.डी (आधार)

आधार (UID) परियोजना देश के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान जारी करने की एक अद्वितीय परियोजना है। वर्तमान में, यह निवासियों के बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकीय डाटा के भंडारण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डाटाबेस है। वर्ष 2009 में, योजना आयोग (वर्तमान, NITI आयोग) के तत्त्वाधान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का गठन किया गया और उसे भारतीय निवासियों के आधार (UID) डाटाबेस के साथ–साथ लेन–देन आधारित अधिप्रमाणन से सम्बन्धित एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। आधार, पात्र लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी सरकारी योजनाओं के नकद और गैर–नकद लाभों को सीधे स्थानांतरित करने का सबसे सफल माध्यम साबित हुआ है।

UIDAI ने 2010 में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C) को अपना स्टेट–रजिस्ट्रार नियुक्त किया था और DoIT&C ने राजस्थान में मई–2011 से आधार नामांकनों का शुभारम्भ कर दिया था। पिछले 10 वर्षों में DoIT&C ने राज्य निवासियों के 92% से अधिक निवासियों का आधार नामांकन किया है और UIDAI ने राज्य के निवासियों के लिए लगभग 7.00 करोड़ आधार आईडी जारी कर दिए हैं। वर्तमान में, DoIT&C के पास 2200 से अधिक सक्रिय ऑपरेटर हैं, जो राज्य भर में आधार डाटाबेस में पंजीकरण और अद्यतन कर रहे हैं। इस प्रकार, DoIT&C प्रति व्यक्ति मशीनों/ऑपरेटरों की उपलब्धता के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेट–रजिस्ट्रारों में से एक है।

DoIT&C, UIDAI के द्वारा स्थापित एक अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (ASA) भी है, जो UIDAI की ही अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (AUA) के रूप में उसे प्रदत्त हाँ/ना अधिप्रमाणीकरण की सुविधा का उपयोग कर विभिन्न विभागों को अधिप्रमाणन करने के लिए सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी और आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान कर संबंधित लाभों और सेवाओं की सुरक्षित और पारदर्शी सेवा वितरण प्रदायगी सुनिश्चित करती है।

दिसम्बर, 2021 तक, DoIT&C ने 53,95,32,058 से अधिक अधिप्रमाणन किए और प्रति माह 4,49,61,004 से अधिक अधिप्रमाणन किए हैं। DoIT&C का आधारभूत ढाँचा राज्य में नकद और गैर–नकद लाभों के वितरण में प्रमुख उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और जन आधार (पूर्व में, भामाशाह) जैसी प्रमुख DBT फ्लैगशिप योजनाओं की सफलता में प्रमुख घटक रहा है।

9.33 राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम

प्रस्तावित निवेशकों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (10 करोड़ रूपये तक) के प्रश्न समाधान, ऑनलाईन आवेदन, पेपरलैस/ई–भुगतान के कार्य संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन निपटान आदि

के लिए संपर्क हेतु एकल विन्डो की तरह कार्य करता है। साथ ही इसके माध्यम से संबंधित विभाग द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुमोदन, मंजूरी, एन.ओ.सी., लाइसेंस आदि जारी करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

यह एकल केंद्र के रूप में 16 विभागों की विभिन्न प्रकार की 135 सेवाऐं प्रदान करता है। अब तक 2,21,818 अनुमोदन, मंजूरी, एन.ओ.सी., लाइसेंस आदि इसके माध्यम से जारी किये जा चुके हैं।

9.34 राजनिवेश

राजनिवेश (https://rajnivesh.rajasthan.gov.in) का शुभारंभ 16 दिसंबर, 2020 को किया गया था। इस प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों (10 करोड़ रू. से अधिक) को सुविधाजनक बनाये जाने के साथ ही अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाये जाने के लिए उद्योग विभाग एवं ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रोमोशन (BIP) के लिए विकसित किया गया है।

यह प्लेटफॉर्म प्रस्तावित निवेशकों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन (पेपरलैस) प्रश्न समाधान/आवेदन जमा करने/ई–भुगतान/ऑनलाइन आवेदन निपटान और संबंधित विभागों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुमोदन/मंजूरी/एनओसी/लाईसेंस आदि जारी करने के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से 15 विभागों की 134 सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं।

9.35 ई-बिजनेस पोर्टल

ई–बिजनेस पोर्टल सरकारी विभागों और व्यावसायिक संस्थाओं के बीच आसानी से व्यापार करने और निर्बाध संचार को बढावा देने के लिए एक केंद्रीकृत वर्कफ्लो–आधारित ऐप्लीकेशन के रूप में कार्य करता है।

9.36 ऐतिहासिक भवनों की 3D स्कैनिंग एवं मॉडलिंग

राज्य के चयनित ऐतिहासिक स्मारकों एवं भवनों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए लिये ऐतिहासिक स्मारकों एवं भवनों की 3डी मॉडलिंग (3D Modelling) का कार्य किया गया है, जिसके अन्तर्गत हवामहल, अल्र्बट हॉल, जयपुर सिटी पैलेस, उदयपुर सिटी पैलेस, जन्तर – मन्तर, बड़ी चौपड़, जयपुर सिटी के सात गेट, आमेर व कुंभलगढ़ किलों के लिए LIDAR Scanning एवं 3D Modelling का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

10 कोविड - 19 के दौरान DoIT&C विभाग का योगदान

कोविड – 19 के खिलाफ राजस्थान की लडाई काफी सुदृढ रही है क्योंकि राजस्थान ने इस लडाई का संयम, सकारात्मक सोच एवं सक्रियता के साथ सामना किया है। मार्च, 2020 में पहला मामला सामने आने के साथ ही सरकारी तंत्र पूर्ण तरीके से सक्रिय हुआ एवं बीमारी के दुष्प्रभाव

की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां 22 मार्च, 2020 को लॉकडाउन संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। कोविड – 19 के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए न्यून अंतराल में त्वरित गति से अनेक आवश्यक कदम उठाये गये। राजस्थान सरकार के अधिकांश विभागों द्वारा प्रयास किए गये, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा किये प्रयास इसे अन्य से भिन्न बनाते हैं जो कि अनुकरणीय हैं।

1 वॉर रूम

- **राज्य स्तरीय वॉर रूम**

महामारी के कठिन दौर में यह महसूस किया गया की 'सूचना' तकनीक इस समय एक वृहद भूमिका निभा सकती है, इस संदर्भ में सरकार द्वारा एक त्वरित निर्णय लिया गया एवं सूचना प्रवाह हेतु एक केंद्र बिंदु की स्थापना की गयी जहां से समस्त सूचनाओं का आदान – प्रदान संपन्न हो सके एवं उसको "IT War Room" नाम दिया गया। पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात् जब सूचना प्रवाह के सभी माध्यम एवं कार्मिकों (सरकारी एवं निजी) से व्यक्तिशः संवाद अवरूद्ध हो गया था, गाडियों के पहिये थम गये थे तब IT War Room सभी प्रमाणित सूचनाओं के लिए एक सूचना केंद्र के रूप में उभरा एवं इसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाओं की विश्वसनियता एवं गुणवत्ता को उच्चतम स्तर तक बनाये रखा गया। IT War Room की स्थापना एवं निपुणता के साथ संचालन हेतु DoIT&C को इसका दायित्व प्रदान किया गया। विभाग ने इस चुनौती को सूचना प्रसार के अपने बुनियादी ढांचे के लाभ के तौर पर उपयोग किया। जैसे ही DoIT&C को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी, निर्णय से 24 घंटे के भीतर ही ITWar Room की स्थापना विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त एवं विशिष्ठ सचिव के सशक्त नेतृत्व में संपन्न कर दी गयी एवं दिनांक 24.03.2020 से DoIT&C द्वारा कामकाज प्रारम्भ कर दिया गया।

13 अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ वॉर रूम की स्थापना की गयी थी जो वहां हर समय 8 घंटे की शिफ्ट में 24X7 उपलब्ध रहते थे। तकनीकी शाखा का नेतृत्व DoIT&C के एक तकनीकी निदेशक / अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया था। वॉर रूम की प्रशासनिक शाखा का नेतृत्व एक IAS/IPS अधिकारी ने किया था जिनके साथ 2 RAS और 2 RPS अधिकारी वॉर रूम में उपस्थित रहते थे।

- **जिला स्तरीय वॉर रूम**

राज्य स्तरीय वॉर रूम को सशक्त बनाने एवं क्षेत्रीय स्तर से जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में 33 जिला War Rooms की भी स्थापना की गयी । राज्य स्तरी वॉर रूम के समान ही इन District War Rooms के अंतर्गत भी तकनीकी एवं प्रशासनिक शाखा का निर्माण किया गया था।

2. **आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर तत्परता का लाभ -** इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे कुशल कारीगर भी अपनी रचना को मूर्तरूप देने में असफल हो जाता है यदि उसे सही समय पर सही उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया हो। इसी तरह वॉर रूम भी DoIT&C की ढांचागत तत्परता और निश्चित रूप से राज्य की तैयारियों के बिना सफल नहीं हो सकता था। ये अवसंरचनात्मक माध्यम हैं – ग्राम पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यालयों में फैली हुयी राजनेट और राजस्वान कनेक्टिविटी, विभिन्न माध्यमों से स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा साथ ही ई–मित्र कियोस्क के डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी नेटवर्क (80,000 से अधिक कियोस्क संपूर्ण राज्य में) को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। राजस्थान संपर्क और 181 सी. एम. हेल्पलाईन शिकायतें/मांग प्राप्त करने वाला एक अन्य सबसे अधिक उपयोगी आईटी प्लेटफॉर्म है। यह माध्यम लगभग सभी तरीकों से जैसे – दस्तावेज, वॉयस मेल, ई–मेल आदि पर लिखे गये शिकायतों/मांगों को प्रस्तुत करने हेतु मंच प्रदान करता है। आई.टी. के बुनियादी ढांचे के अलावा विभाग के लगभग 6000 सिस्टम एनालिस्ट्स, प्रोग्रामर्स, सहायक प्रोग्रामर्स एवं सूचना सहायक अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं। इन सभी आई.टी. वॉरियर्स ने प्रमुख शासन सचिव, IT&C एवं आयुक्त और विशिष्ठ सचिव, IT&C के सक्षम मार्गदर्शन में दृढतापूर्वक रहकर अथक परिश्रम किया।

3. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग- वॉर रूम द्वारा आई.टी. आधारित सूचना प्रसार प्रबंधन -**

राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का एक मजबूत और सबसे व्यापक नेटवर्क है जो वीसी को चार माध्यमों से संचालित करने की सुविधा प्रदान करता है –CiscoRoom-basedfixedWeb-X, मोबाइल आधारित वीसी के लिए Cisco-Jabber और लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर आधारित वीसी सुविधा। इस सुविधा का उपयोग न केवल राज्य भर के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बल्कि समाज के विभिन्न समूहों जैसे– व्यापारियों, जन प्रतिनिधियों, धर्म गुरूओं आदि के साथ संवाद

करने के लिए किया था। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सुविधा के माध्यम से 700 से अधिक बार बातचीत की। विभिन्न स्तरों पर अन्य अधिकारियों एवं टीम द्वारा 6000 से अधिक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई।

4. राजस्थान संपर्क (181 सी.एम. हेल्पलाईन) एवं अन्य संचार माध्यम -

राजस्थान संपर्क हेल्पलाईन ने covid-19 के दौरान राज्य के अंतिम पडाव शिकायत पोर्टल के रूम में कार्य किया। यह 24X7 कार्यात्मक है और इसके द्वारा IVRS और कॉलिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। राज संपर्क की स्वयं की क्षमता का उपयोग पूरे वर्ष किया जाता है, लेकिन Covid-19 के दौरान विभिन्न कॉल्स से निपटने के लिए 50 और कर्मचारियों के साथ इसे मजबूत बनाया गया था। इन कार्मिकों ने 24X7 के लिए तीन शिफ्टों में कार्य किया। राज संपर्क राज्य के निवासियों से सूचनाऐं प्राप्त करता है और इन शिकायतों/मांगों को विभागवार अलग करता है और इन शिकायतों/ मांगों को संबंधित विभाग/एजेंसियों को समाधान के लिए अग्रेषित करता है। निवासियों से उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनकी शिकायत के संतोषजनक समाधान के स्तर के लिए फिर से संपर्क किया जाता है। Covid-19 के दौरान, राज संपर्क और 181 हेल्पलाईन ने मिलकर कार्य किया और निराशा और संकट में फंसे निवासियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार के प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य किया। इन नियमित टोल फ्री नंबरों के अलावा, 1800–180–6127, एक नया नंबर – 1800–180–6128, राज्य से बाहर के प्रवासियों को भी प्रदान किया गया था। हेल्पलाइन के अलावा राज्य स्तरीय आई.टी. वार रूम ने निवासियों को 0141–29–22530 से 0141–29–22541 तक 12 स्वतंत्र अलग–अलग फोन लाइनें भी प्रदान की ताकि किसी भी तरह की भीडभाड से कोई परेशानी न हो। संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और माल और मानव संसाधनों की आवाजाही के लिए इन फोन लाइनों का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न विभागों और एजेंसिंयों के माध्यम से किया गया। वॉर रूम के राज संपर्क प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न स्त्रोंतो से जानकारी एकत्र कर निष्कर्ष निकालने के लिए सरलता से समझने योग्य रिपोर्ट्स तैयार की गयी । इन रिपोर्ट्स में सम्मिलित विषय निम्नानुसार हैं –

- **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संबंधित -** गैर एन.एफ.एस.ए./श्रमिकों को राशन सामग्री नहीं मिलने, खाद्य आपूर्ति की कमी, जरूरतमंदों को भोजन की आपूर्ति करने के संबंध में शिकायतें।

- **ई-बाजार से संबंधित -** राज्य के निवासियों द्वारा ऑर्डर की गई आपूर्ति और होम डिलीवरी में देरी या विफल होने पर शिकायतों के संबंध में।
- **प्रवास संबंधी -** यदि लोग राज्य से बाहर जा रहे हैं अथवा अंदर की ओर यात्रा कर रहे हैं और किसी समस्या या सामान्य मुद्दों का सामना कर रहे हैं।
- **क्वारंटाइन सेंटर से संबंधित शिकायतें -** क्वारंटाइन सेंटर्स में साफ–सफाई, खाद्य, बिजली/पंखे और चिकित्सा संबंधी सुविधाऐं।
- **चिकित्सीय तौर पर संदिग्ध एवं आवश्यकता संबंधित -** चिकित्सीय आपात स्थिति से संबंधित शिकायतें, राज्य में आने/जाने वाले चिकित्सकीय रूप से अक्षम निवासियों के लिए पास, कोरोना संदिग्धों से संबंधित सूचनाऐं, कोरोना के लिए चिकित्सा आपातकाल, चिकित्सा आपूर्ति की कमी आदि।
- **कानून और व्यवस्था से संबंधित शिकायतें और अन्य मुद्दे -** निजी फर्मों/दुकानों के अवैध संचालन, विदेशी नागरिकों से संबंधित सूचना, असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध गतिविधियों की रोकथाम, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु वाहन पास, निवासियों/अप्रवासियों के संक्रमण से संबंधित सूचनाऐं, खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी आदि।

5. COVID-19 STATISTICS ऐप्लीकेशन +BI डैशबोर्ड/रिपोर्ट

राज्य भर में व्यापक रूप से COVID-19 महामारी से संबंधित विभिन्न आँकड़ों को कैप्चर करने की आवश्यकता को देखते हुए, RajCAD, DoIT&C की इन–हाउस टीम ने मार्च 2020 में मात्र 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में एक केंद्रीकृत वेब–आधारित ऑनलाइन ऐप्लीकेशन "COVID-19 STATISTICS" विकसित की और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यक पहलुओं/सुविधाओं को शामिल करने के लिए इसे धीरे–धीरे अपग्रेड किया गया।

ऐप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकार के सभी राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को COVID-19 महामारी की स्थिति से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित वास्तविक समय के आंकड़ों को एकत्रित/निगरानी करने एवं सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, जो निम्नानुसार हैं –

Form-1 और 1A:चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आंकडे (जिला सी.एम.एच.ओ.)

Form-1B: दैनिक COVID-19 टीकाकरण बुलेटिन से संबंधित आंकडे।

Form-2: जिला/ब्लॉक प्रशासन से संबंधित आंकडे।

1- Form-3: कानून–व्यवस्था की स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सुविधा (एमएचए) से संबंधित आंकडे।

2- Form-3: जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक मुद्दों और समर्थन से संबंधित आंकड़े।

3- Form-3A: COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों के तहत मामलों के उल्लंघन से संबंधित आंकड़े।

4- Form-4: गृह और संस्थागत क्वारंटीन व्यक्तियों के विवरण से संबंधित आंकडे।

5- Form-5: सीमा पर फंसे लोगों/प्रवासियों से संबंधित आंकड़े (एनडीएमए)।

Form-5A: राज्य भर में समर्पित COVID-19 स्वास्थ्य केंद्र (DCHC), COVID-19 देखभाल केंद्र (CCC) और COVID-19 क्वारंटीन केंद्र (CQC) से संबंधित आंकड़े।

6- Form-6: जिला प्रशासन द्वारा जारी ऑफलाइन/ऑनलाइन ई–पास से संबंधित आंकड़े।

7- Form-7: COVID+व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े।

8- Form-8: फंड आवंटन और व्यय से संबंधित आंकड़े (सीएमआरएफ)

9- Form-9: कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन में पुलिस थाना क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े

10- Form-10: जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त इंसीडेंट कमांडरों (आईसी), स्वयंसेवकों और सीएलजी सदस्यों से संबंधित आंकड़े।

11- CQAS: क्वारंटीन उल्लंघनों से संबंधित आंकड़े।

12- eMitra Form: प्रवासी शिविरों और प्रवासियों से संबंधित सांख्यिकी (आवक/जावक)।

13- eAushadhi: COVID-19 उपचार के लिए आवश्यक विभिन्न दवाओं/दवाओं से संबंधित आंकड़े।

14- eUpkaran: COVID-19 उपचार के लिए आवश्यक विभिन्न चिकित्सा उपकरणों से संबंधित आंकड़े।

i. चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रिपोर्ट्स - एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित एजेंसियों को समय पर अलर्ट देने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से निम्नलिखित रिपोर्ट्स एकत्र की जाती हैं।

- **ई-उपकरण -** ई–उपकरण ने इन रिपोर्ट्स को एक अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के विभिन्न समूहों के आधार पर तैयार किया है।
- **ई-औषधि -** ई–औषधि ऐप्लीकेशन एक सीमा निर्धारित करने के साथ ही लगभग 60 प्रकार की दवाओं के स्टॉक पर नजर रखता है ताकि उस सीमा से अधिक दवा की कमी हाने पर अलर्ट प्रदान किया जा सके।
- **कोरोना प्रभावित मरीज और किए गए परीक्षण -** यह रिपोर्ट सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा भरे गए विभिन्न प्रारूपों को प्राप्त करने के बाद तैयार की

जाती है। इस रिपोर्ट में लिए गए कुल नमूने, किए गए परीक्षण, प्राप्त कोविड पॉजिटिव मरीज, ठीक हुए एवं मृत व्यक्तियों की संख्या शामिल है।

- **जिलावार उपलब्ध चिकित्सा सुविधाऐं -** यह रिपोर्ट जिला अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को दर्शाती है जैसे – एम्बुलेंस, वेंटिलेटर आदि।

ii. जारी किए गए वाहन पास - इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि लॉकडाउन के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा कितने पास जारी किए गए ताकि प्रत्येक वाहन की आवाजाही पर नजर रखी जा सके।

iii. खाद्य संबंधित मुद्दे - लॉकडाउन के दौरान सरकारी एजेंसियों के साथ–साथ निजी गैर सरकारी संगठनों या व्यक्तियों द्वारा वितरित खाद्य पदार्थों – सूखे या पके हुए खाद्य पदार्थों की भारी आवश्यकता रही। कुछ क्षेत्र अति–पोषित थे जबकि अन्य में कमी का सामना करना पड़ा। वॉर रूम ने संबंधित एजेंसियों को सूचना और अलर्ट प्रदान करने की दिशा में प्रयास किया ताकि स्थान विशेष पर भोजन की कमी को समय पर रोका जा सके।

iv. सीमा पर प्रवासियों की रिपोर्ट - लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की आवाजाही पर नज़र रखी गई ताकि वाहनों और व्यक्तियों को अंतरराज्यीय सीमाओं को पार करने में सुविधा हो सके। सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को आने वाले प्रवासियों के लिए तैयार रहना पड़ा ताकि आवश्यक सुविधाएं जैसे क्वारंटाइन सेंटर आदि पहले से तैयार हो सकें।

v. गृह मंत्रालय (एमएचए) की रिपोर्ट- लॉकडाउन के दौरान कानून–व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखना पूरे राज्य के लिए एक चुनौती थी। लेकिन, सभी आधुनिक उपकरणों से तेजी से सूचना प्रवाह के द्वारा वॉर रूम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की न्यूनतम घटनाएं हुईं। इसी तरह, माल की कमी, अन्य सेवाएं जैसे वाहन चालक आदि के लिए कुछ रिपोर्टें तैयार की जानी हैं। एमएचए के लिए तैयार की गई तीन रिपोर्टें–टी1, टी2 और टी3 फील्ड से प्राप्त हुई थीं।

vi. जागरूकता उत्पन्न करने के स्तर संबंधी रिपोर्ट - Covid-19 के खिलाफ लडाई में इसके प्रति जागरूकता प्रसार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से इस तरीके के और जागरूकता अभियान चला सकती है ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके।

vii. जिला प्रशासन को विभिन्न उपलब्धताओं पर रिपोर्ट- जिला प्रशासन को विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता में कुछ कमी का सामना करना पड़ा जिसके लिए चिकित्सा एवं अन्य सामाग्रियों की कमी को ट्रैक करना पड़ा और जिला प्रशासन की मांग को पूरा करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों

को सूचित किया गया ताकि त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह कार्य एक रिपोर्ट के माध्यम से सही समय पर सही एजेंसी को सूचना के प्रवाह द्वारा किया गया था।

viii. क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की रिपोर्ट- अन्य राज्यों या राष्ट्रों से पलायन करने वाले निवासियों को COVID-19 के दौरान चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार न्यूनतम 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाना था। वॉर रूम ने सभी क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने और एक मोबाइल ऐप के माध्यम से उनके उल्लंघन को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की जानकारी यहां प्रदर्शित प्रपत्र संख्या–4 में रखी गई थी।

ix. क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए जीआईएस ऐप्लीकेशन- DoIT & C ने RajCovidInfo ऐप नाम से एक ऐप्लीकेशन डिज़ाइन किया है। क्वारंटाइन किए गए निवासियों पर नज़र रखने के लिए इस ऐप्लीकेशन का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा हैं। यह ऐप क्वारंटाइन किए गए निवासियों को जीआईएस आधारित 'Heat-based'/'thematic maps' से ट्रैक करता है। मोबाइल लोकेशन आधारित 'Geo-fencing' तकनीक क्वारंटाइन किए गए क्षेत्र के उल्लंघन को ट्रैक करती है।

'IT War Room' के माध्यम से एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी तक सूचना प्रवाह में तेजी प्रदान की गयी है। इसके परिणामस्वरूप महामारी के दौरान सेवाओं का एक मजबूत प्रबंधन हुआ और राजस्थान को COVID-19 के नकारात्मक प्रभावों को टालने में एक अग्रणी राज्य बना दिया।

6. कोविड - 19 लॉकडाउन के दौरान उपयोगी अन्य ऐप्लीकेशन्स

1. शादी एवं अन्य समारोह के लिए e-Intimation

- स्व–सेवा–आधारित आवेदन राज्य भर के निवासियों को महामारी की अवधि के दौरान उनके द्वारा आयोजित विवाह और अन्य कार्यक्रमों की अग्रिम सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, इसके माध्यम से जिला प्रशासन कार्यालय में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त किया गया।
- निवासी द्वारा अग्रिम सूचना ऑनलाइन जमा की जाती है और सिस्टम द्वारा वास्तविक समय में इसकी पावती जारी की जाती है। वैकल्पिक रूप से, निवासी अग्रिम सूचना जमा करने के लिए 181 हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकता है।
- यह जानकारी जिला प्रशासन और संबंधित पुलिस स्टेशन के लिए उपलब्ध होती है, जो राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए उस समारोह हेतु बीट कांस्टेबल को भेजता है। इस तरह के दौरे और कार्रवाई की रिपोर्ट का विवरण भी संबंधित पुलिस स्टेशन (एसएचओ) द्वारा सिस्टम में वापस अपडेट किया जाता है।

- अग्रिम ई–सूचना प्राप्त हुई– 62,107 (ऑनलाइन), 1618 (181 हेल्पलाइन)।
- निरीक्षण पूर्ण– 41,710 (अनुपालन देखा गया), 67 (अनुपालन नहीं देखा गया)

2. लॉकडाउन अवधि के दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए उद्योगों/निर्माण प्रतिष्ठानों द्वारा ई-सूचना (ई-पास)

- स्व–सेवा–आधारित ऐप्लीकेशन उद्योगों, निर्माण प्रतिष्ठानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (दुकानों सहित) को खुद को पंजीकृत करने और लॉकडाउन के दौरान वाहन की आवाजाही के लिए ई–पास (ट्रांजिट पास–बस/ट्रक और एक घंटे का ट्रांजिट पास–4/2 व्हीलर) जनरेट करने की अनुमति देता है। .
- आवेदन उनके स्थायी/अस्थायी और संविदा कर्मचारियों के लिए आईडी कार्ड बनाने की भी अनुमति देता है।
- ई–पास और आईडी कार्ड संस्थापन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनरेट किये जाते हैं और ई–पास, आईडी कार्ड सिस्टम द्वारा स्वतः उत्पन्न होते हैं और संस्थापन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को भेजे जाते हैं।
- सूचना को ई–पास/आईडी कार्ड पर मुद्रित एसएमएस और क्यूआर कोड का उपयोग करके DICs (उद्योग विभाग) और क्षेत्र स्तर के अधिकारियों (यातायात पुलिस) द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
- कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान – 46,613
- जारी किए गए कुल ट्रांजिट पास (ईपास) – 11,157 (बस/ट्रक), 60,656 (4–व्हीलर), 2,00,555 (2–व्हीलर)
- जारी किए गए कुल आईडी कार्ड – 2,52,441

3. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए e-Intimation द्वारा पूर्व टीकाकरण की सूचना

- स्व–सेवा–आधारित ऐप्लीकेशन राज्य के छात्रों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और खेल गतिविधियों से संबंधित निवासियों को पूर्व COVID-19 टीकाकरण (DOSE-2) के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।
- रोजगार, शिक्षा और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा करने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा सूचना प्रस्तुत की जा सकती है।

- अनुरोध निवासी द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाता है और सिस्टम द्वारा वास्तविक समय में इसकी पावती जारी की जाती है। अनुरोध को वास्तविक समय में जिला सीएमएचओ कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो दस्तावेजों की समीक्षा के बाद टीकाकरण अनुरोध को स्वीकार/अस्वीकार करता है। एक बार स्वीकृत होने के बाद, निवासी COVID-19 वैक्सीन का DOSE-2 प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट टीकाकरण केंद्र पर जा सकता है।
- प्राप्त कुल अनुरोध– 31,817 (शिक्षा–3622, रोजगार–28,111 और खेल–84)
- कुल स्वीकृत अनुरोध– 19,943 (खुराक1–378, खुराक2–19,565)

4. रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, योग केंद्र, दुकानों और मॉल द्वारा ई-सूचना

- स्व–सेवा–आधारित ऐप्लीकेशन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मल्टीपल, थिएटर, जिम, योग केंद्र, दुकानें और मॉल आदि को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन के संबंध में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देता है।
- अनुरोध निवासी द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाता है और सिस्टम द्वारा वास्तविक समय में इसकी पावती जारी की जाती है।
- यह जानकारी जिला प्रशासन और संबंधित पुलिस स्टेशन को रीयल–टाइम में दिखाई देती है।
- सबमिट की गई कुल सूचनाएँ– 733

5. RAJCOVID Info वेबसाईट

राजस्थान में सार्वभौमिक रूप से सूचना के तेजी से प्रसार के लिए www.Covidinfo. rajasthan.gov.in वेबसाइट भी लॉन्च की गयी है।

6. RajCovid Info App

राज्य में क्वारंटाइन किए गए निवासियों की ट्रैकिंग के लिए RajCovidInfo App को विकसित किया है। यह ऐप क्वारंटाइन किए गए निवासियों को जीआईएस आधारित Heat-based/thematic maps से ट्रैक करता है। मोबाइल लोकेशन आधारित जियो–फेंसिंग तकनीक क्वारंटाइन किए गए क्षेत्र के उल्लंघनों को ट्रैक करती है।

7. मंडी प्रवेश के लिए E-Pass ऐप्लीकेशन

E-Pass ऐप ने किसानों और एजेंटों को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अग्रिम रूप से ई–पास प्राप्त करने में मदद की। इसने उन्हें पर्याप्त समय अंतराल बनाए रखते हुए मंडी में प्रवेश करने में मदद की ताकि मंडी क्षेत्र में भीड़–भाड़ से बचा जा सके एवं जरूरी सामाजिक दूरी को बनाये रखा जा सके।

8. RajCop Citizen App

इस ऐप का लॉन्च और रखरखाव राजस्थान पुलिस द्वारा किया गया था इस ऐप द्वारा जरूरत पड़ने पर प्रवासियों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए साथ ही आरटीओ के लिए प्रवासियों को ई–पास जारी करने में मदद की गयी।

9. E-Bazar Covid-19 App

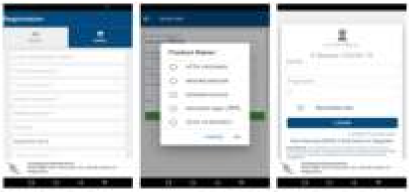

इस ऐप ने जरूरत–आधारित सामान विक्रेताओं, खरीदारों और एजेंटों को एक मंच पर लाने में मदद की और निवासियों को उनके दरवाजे पर दैनिक जरूरतों के अनुसार वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की। 17550 निवासी, 4000 किराना स्टोर और 420 थोक व्यापारी इस ऐप के माध्यम से पंजीकृत हैं। ऐप को 20000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है।

10. E-Aushadhi-COVID-19

इस ऐप का उपयोग कोविड–19 महामारी के दौरान लगभग 57 प्रकार की दवाओं और अन्य वस्तुओं के स्टॉक की निगरानी के लिए किया गया है।

11. जन आधार पोर्टल के माध्यम से DBT & Cash and Kind (e-PDS)

खाद्य और नागरिक आपूर्ति वस्तुओं की होम डिलीवरी की सेवाएं–

- समाज के गरीब वर्ग जैसे बीपीएल, राज्य बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा आदि

लाभार्थियों के लिए पीडीएस नेटवक्र के माध्यम से 10 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त गेहूं वितरण तीन महीने के लिए।

- पशु–पक्षियों के लिए चारे की व्यवस्था, गरीब निवासियों के लिए रूपये 3000 करोड़ का पैकेज लागू किया गया।
- 78 लाख से अधिक हितधारकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अग्रिम राशि दो माह के लिए अग्रिम रूप से जमा करायी गयी।
- परिणामस्वरूप उनके बैंक खातों में ₹1500 से ₹4000 तक की राशि जमा हो गई।
- 31 लाख से अधिक गरीब निवासी, जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत शामिल नहीं हैं (निर्माण मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, मैला ढोने वाले, अन्य निराश्रित और अनाथ) को मुफ्त भोजन पैकेट के साथ प्रत्येक को दो महीने के लिए ₹2500 का अनुदान प्रदान किया गया।
- कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों, छात्रों, पानी/बिजली उपभोक्ताओं को समय पर राहत प्रदान करने के लिए प्रमुख निर्णय लिए गए।

7. राजस्थान में COVID-19 के प्रसार पर दैनिक रिपोर्ट का सारांश -

आज के सूचना युग में सूचना/डाटा का आकार तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सार्वजनिक सेवा वितरण भी बड़ी मात्रा में डाटा के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस विशाल डाटा से वास्तविक सार निकालना बेहद महत्वपूर्ण है, जो की प्रायः डाटा के विशाल ढेर की गहराईयों में छिपा रहता है। राजस्थान में कोविड –19 के प्रसार पर दैनिक रिपोर्ट राज्य के निर्णय निर्माताओं को बोधगम्य ग्राफिकल रूपों में संबंधित डाटा प्रदान करके साक्ष्य आधारित निर्णय लेने, डाटा संचालित नीति निर्माण, इष्टतम संसाधन योजना को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से शुरू हुई। यह अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, साथ ही राज्य भर में बीमारी के प्रसार पर रियल टाईम डाटा को सुरक्षित रखता है। रिपोर्ट एसएएस प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से सक्षम विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड को अपडेट करने की मदद से तैयार की जाती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर एकत्र किए गए कोविड –19 डाटा को उपलब्ध आंकड़ों के साथ रिपोर्ट को अपडेट रखने के लिए न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ एसएएस प्लेटफॉर्म में डाला जाता है। कोविड–19 के प्रकोप से संबंधित उपलब्ध कुछ डैशबोर्ड रिपोर्टों की झलक इस प्रकार है।

1. **भारत के विभिन्न राज्यों में बीमारी के प्रकोप की तुलना -** यह रिपोर्ट भारत के विभिन्न राज्यों में बीमारी के प्रसार का त्वरित तुलनात्मक विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। यह वर्तमान में सक्रिय मामलों, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या और तारीख के आधार पर मृत लोगों

को भी दर्शाती है।

2. **राजस्थान बनाम भारत में बीमारी के प्रकोप की तुलना** -यह रिपोर्ट नए मामलों के बेंचमार्क के आधार पर भारत के साथ राज्य की स्थिति के बारे में त्वरित दृष्टिकोण रखने में मदद करती है। यह राज्य के साथ–साथ देश के लिए नए मामलों की संख्या के पैटर्न को भी चित्रित करती है।

3. **राज्य के लिए दिन दोगुने होने का रुझान** - रिपोर्ट राज्य के लिए दिन दोगुने होने की प्रवृत्ति को समझने में मदद करती है।

   जिलों में दोहरीकरण समय- इस रिपोर्ट के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में मामलों को दोगुना होने में लगने वाले दिनों की तुलना उनकी स्थिति के संबंध में की गई है। यह पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या और संबंधित जिलों में आखिरी मामले का पता लगाने की तारीख को भी दर्शाता है।

1 **मामलों के रुझानों का विश्लेषण** - रिपोर्ट कुल मामलों की संख्या, सक्रिय मामलों की संख्या, ठीक हुए लोगों की संख्या और संचयी आधार पर मौतों पर दिन–वार पैटर्न को दर्शाती है।

2 **सकारात्मकता दर का रुझान** - यह रिपोर्ट किसी नियत तिथि पर उस किए गए कुल परीक्षणों के आधार पर संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या पर दिन–वार पैटर्न तैयार करती है। यह समय की अवधि में राज्य में संक्रमण दर की प्रवृत्ति की पहचान करने में सहायता करती है।

3 **जिलों में संक्रमण दर**- इस रिपोर्ट में किसी जिले में किए गए कुल परीक्षणों की संख्या के आधार पर पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या का विश्लेषण किया गया है। अतः इस रिपोर्ट के सहयोग से जिलों में सकारात्मकता दरों की पहचान करने में सहायता प्राप्त होती है।

4 **आयु हिस्टोग्राम विश्लेषण** - यह डैशबोर्ड राज्य में विभिन्न आयु–वर्गों में पाए जाने वाले मामलों के वितरण को दर्शाता है, जो सक्रिय चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले मामलों की संख्या का अनुमान लगाने में एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है (उदाहरण के लिए 61–90 के आयु वर्ग में 21–30 और 31–40 आयु वर्ग आदि में पाए गए मामलों की तुलना में चिकित्सा सुविधा लेने की संभावना अधिक हो सकती है)।

5 **मृत्यु के मामलों का सह- रुग्णता विश्लेषण** - इस रिपोर्ट द्वारा मरीज की पूर्व–मौजूदा रोगों (सह–रुग्णता) के साथ मृतक मामलों का विश्लेषण दर्शाया गया है। यह संक्रमित की पहले से मौजूद बीमारियों के आधार पर यह विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है की कौनसी बीमारी कोविड–19 रोगियों में अधिक घातक साबित होती हैं।

11 वर्ष वार विगत तीन वर्षों के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

वर्ष 2021-2022 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 2021 तक व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.12.2021
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	85123.50	2.54	85126.04	46301.79
2	NEGP	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**85123.50**	**2.54**	**85126.04**	**46301.79**

वर्ष 2020-2021 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.03.2021
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	71280.15	2.50	71282.65	68833.40
2	NEGP	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**71280.15**	**2.50**	**71282.65**	**68833.40**

वर्ष 2019-2020 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.03.2020
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	85003.70	2.00	85005.70	77398.65
2	NEGP	-	-	-	-
	Total	**85003.70**	**2.00**	**85005.70**	**77398.65**

12 पुरस्कार एवं प्रशंसा

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को e-Governance और I.T. के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया :–

1. Raj Masters – Centralized Master Data Hub को

- Indian Express Techsabha award 2019
- eGovernance Now award 2019 एवं
- Skoch award 2019 से पुरस्कृत किया गया है।

2. RTI परियोजना को

- Skoch Award से पुरस्कृत किया गया है।

3. eSign CA Solution को

- eGovernance Now award 2019 से पुरस्कृत किया गया है।

4. e-Bazaar परियोजना को

- IMC Digital Technology Award 2018 से पुरस्कृत किया गया है।
- Skoch of Merit award 2019 से पुरस्कृत किया गया है।

5. WS&APS परियोजना को

- SKOCH in "Silver Category" of Cyber Security "Order of Merit" category for Top ranking Cyber Security Projects in India (2018)
- Finest India Skills & Talent (F.I.ST) Awards 2019 under innovation Product of the year Security से पुरस्कृत किया गया है।
- Silver Awards in category-VI i.e. "Excellence in adopting emerging technologies"- National e-Governance Award 2020

6. BTH & BSDC परियोजना को

- FSAI Awards से पुरस्कृत किया गया है।

7. Power SCADA परियोजना को

- Energy Conservation Awards से पुरस्कृत किया गया है।

8. Emitra परियोजना को

- Best digital Transformation Award 2018 से पुरस्कृत किया गया है।
- IMC Digital Technology Awards 2018 से पुरस्कृत किया गया है।
- Skoch Award 2019 से पुरस्कृत किया गया है।